



निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 पटना, बुधवार, 7 श्रावण 1948 (श10)
29 जुलाई 2026 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-35	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 36-39	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 40-42
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 43-59

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

30 जून 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-03/2024-11472/सा०प्र०—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को अरवल जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-410/स्था० दिनांक 19.06.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	परासी प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2026	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अरवल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

30 जून 2026

संख्या-7/शक्ति प्र०-13-02/2025 सा०प्र० 11555/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सभी जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की घटनोत्तर एवं आगामी तिथियों हेतु संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/ अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3939 दिनांक 22. 06.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक	विधि व्यवस्था एवं अन्य उद्देश्य	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सभी जिले

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

17 जुलाई 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-02/2025-12938/सा०प्र०—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-33 दिनांक 10.07.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	दिनांक 24.07.2026 से दिनांक 30.07.2026 तक के लिए	बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2026	विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी	पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

आदेश

10 जुलाई 2026

सं० स्था० 314/18 भाग-III-172/प्र०मु०व०सं०—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना के विज्ञापन संख्या-02/2025 के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत “वनों के क्षेत्र पदाधिकारी” के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित परीक्षाफल के आधार पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-बि०पु०से०आ०-परीक्षा/01-01/2025-168 दिनांक-03.02.2026 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2013 के नियम-17 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित PB-2, ग्रेड पे-4200/- पुनरीक्षित Level-6 (35400-112400) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	लिखित परीक्षा अनुक्रमांक	साक्षात्कार अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	1412220420	172	श्री अभिषेक कुमार, पिता-श्री शिवा जी सिंह, ग्राम-महेसुआ, वार्ड सं०-02, डाकघर-कुड़ासन, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर (भभुआ), पिनकोड-821101	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	15.03. 1994	

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	लिखित परीक्षा अनुक्रमांक	साक्षात्कार अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
2.	2	1412130492	108	श्री सौरभ शेखर, पिता-रबिन्द्र प्रसाद सिंह, लकड़ी टोला माधोपुर, डाकघर-लकड़ी, थाना-लकड़ी नवीगंज, सीवान, पिनकोड-841416	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	21.11. 1994	
3.	3	1412230257	155	श्री पंकज कुमार, पिता-श्री अशोक महतो, वार्ड नं०-13, बैकुण्ठपुर, बरहण्डा, पो०-घटहो, थाना-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर, पिनकोड-848114	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	28.03. 1997	
4.	4	1412140251	238	श्री गौरव चन्द्रा, पिता-श्री सुनील कुमार सिन्हा, ग्राम-कुतलुपुर, वार्ड नं०-08, थाना-परवलपुर, पो०-बिसाईविगहा, जिला-नालंदा, पिनकोड-801301	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	24.07. 1996	
5.	5	1412060630	224	श्री अभिषेक कुमार, पिता-श्री संजय ठाकुर, ग्राम-सर्दुददीन शिवाजीनगर, पो०-लालबाघ, थाना-नगर, जिला-दरभंगा, पिनकोड-846004	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	06.09. 1997	
6.	6	1412070682	222	श्री सुमित कुमार, पिता-श्री शैलेन्द्र कुमार यादव, ग्राम-बरैना यादव टोला, थाना-सरसी, पो०-महाराजगंज, जिला-पूर्णियाँ, पिनकोड-854202	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	03.01. 1995	
7.	7	1412180107	170	श्री नीरज कुमार, पिता-श्री उपेन्द्र सिंह, ग्राम-बैरी, पो०-गेहुआँ, थाना-चाँद, जिला-कैमूर, पिनकोड-821106	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	12.07. 2002	
8.	8	1412110323	194	श्री अनिमेश कुमार, पिता-श्री राज कुमार झा, ग्राम-छगराहॉ, वार्ड नं०-5, पो०-छपरा बहास, थाना-सुगौली, पूर्वी चम्पारण, पिनकोड-845435	पुरुष	आर्थिक रूप से कमजोर	28.04. 1997	

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	लिखित परीक्षा अनुक्रमांक	साक्षात्कार अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
9.	9	1412130424	160	श्री आनन्द कुमार, पिता-श्री मदन यादव, ग्राम-लीला बिगहा, पो0-मकनपुर, थाना-वारिसलीगंज, जिला-नवादा, पिनकोड-805130	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	17.02. 2003	
10.	10	1412270246	197	श्री निशांत कुमार, पिता-श्री विजय कुमार, ग्राम-मुरली मनोहर कॉलोनी, वार्ड संख्या-45, मालीघाट नाका, थाना-मिठनपुर, पो0-रमना, मुजफ्फरपुर, पिनकोड-842002	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	08.07. 1991	
11.	11	1412190213	241	श्री धर्मराज कुमार, पिता-श्री शंभु प्रसाद, ग्राम-दुलारी विगहा, पो0+थाना-एकंगरसराय, जिला-नालंदा, पिन कोड-801301	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	16.09. 1996	
12.	12	1412030286	187	श्री बिकाश कुमार, पिता-श्री नन्द किशोर पोद्दार, ग्रा0+पो0-केवस निजामत, थाना-मुफ्फसिल, समस्तीपुर-848134	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	11.11. 1996	
13.	13	1412010958	114	श्री संतोष कुमार, पिता-श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, एन0टी0पी0सी0 कॉलोनी, ईस्ट रामकृष्णा नगर, पो0-न्यू जगनपुरा, थाना-रामकृष्णा नगर, जिला-पटना, पिनकोड-800027	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	10.02. 1998	
14.	14	1412040708	164	श्री रवि शंकर, पिता-श्री सोहन राम, ग्राम-देवकली, पो0-अकोढ़ी, थाना-मोहनियाँ, जिला-कैमूर (भभुआ), पिन कोड-821109	पुरुष	अनु0 जाति	18.01. 2002	
15.	15	1412240356	110	श्री सुरज सहवाग, पिता-श्री राम किशुन चौधरी, ग्राम-मुर्लिया चक, वार्ड न0-03, पो0-चकमहिला, थाना + जिला-सीतामढ़ी, पिन कोड-843302	पुरुष	अनु0 जाति	05.05. 2000	

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	लिखित परीक्षा अनुक्रमांक	साक्षात्कार अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
16.	16	1412050253	226	श्री चन्दन कुमार, पिता—श्री ललन राम, ग्राम—नरवर, वार्ड सं०—09, पो०—खुदुरु, थाना—दिनारा, जिला—रोहतास, बिहार, पिन कोड—821112	पुरुष	अनु० जाति	19.07. 1995	
17.	17	1412140318	221	श्री दिपु कुमार, पिता—श्री फुलकांत रजक, ग्राम + पो०—गोरखरी, थाना—विक्रम, जिला—पटना, पिन कोड—801104	पुरुष	अनु० जाति	04.02. 2001	
18.	18	1412060329	124	श्री अर्जुन कुमार, पिता—श्री पारस महतो, ग्राम—देवरिया, पो०—तरुअनवा, थाना—लौकरिया, जिला—पश्चिम चम्पारण, पिन कोड—845105	पुरुष	अनु०जन जाति	06.08. 1998	
19.	19	1412010920	165	श्री अविनाश कुमार, पिता—श्री मनोज कुमार प्रसाद, ग्राम + पो०—बड़का डुमरा, थाना—मुफसिल (आरा), जिला—भोजपुर, पिनकोड—802312	पुरुष	अनु० जाति	10.12. 1998	
20.	20	1412010178	131	श्री आशीष राज, पिता—श्री सुखु लाल, पियुनीबाघ बसवरिया बेतिया, डाकघर—बेतिया, थाना—नगर बेतिया, पश्चिम चम्पारण, बिहार, पिनकोड—845438	पुरुष	अनु० जाति	05.01. 1998	
21.	21	1412070218	175	श्री रवि रंजन कुमार, पिता—श्री बिजेन्द्र चौधरी, ग्राम—सुल्तानपुर, वार्ड—02, पो०+थाना—तेल्हाड़ा, जिला—नालंदा, पिन कोड—801306	पुरुष	अनु० जाति	05.08. 1996	
22.	22	1412160115	158	श्री विकास कुमार, पिता—श्री दीपक पासवान, काँटी कसवा, वार्ड न०—17, पो०—काँटी, थाना—काँटी, मुजफ्फपुर—843109	पुरुष	अनु० जाति	06.08. 1996	
23.	23	1412070523	228	श्री बल्लु कुमार, पिता—श्री मनोज दास, ग्राम—रामगढ़, पो०—जहानाबाद, थाना—जहानाबाद नगर थाना, जिला—जहानाबाद, पिनकोड—804408	पुरुष	अनु० जाति	02.10. 2001	

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	लिखित परीक्षा अनुक्रमांक	साक्षात्कार अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
24.	24	1412060768	122	श्री दिनेश कुमार, पिता—श्री कपिलदेव पासवान, ग्राम—माननियातारी, वार्ड सं०—07, पो०—मधुरापुर, थाना—कौआकोल, जिला—नवादा—805106	पुरुष	अनु० जाति	20.01. 1995	

2. यह नियुक्ति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

3. बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम-17 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को यथाविनिश्चित मान्यता प्राप्त संस्थानों में दो वर्ष के लिए प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। परीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी यदि आलोच्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असफल रहते हैं तो उस अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है एवं फिर भी यदि वह उक्त बढ़ाई गई अवधि में प्रशिक्षण को पूरा करने में असफल रहते हैं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

4. प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद परीक्षा पर बितायी गई अवधि सेवा अवधि मानी जाएगी।

5. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964 दिनांक—31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

7. यह नियुक्ति शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों से शैक्षणिक प्रमाण—पत्र का सत्यापन तथा जिला पदाधिकारी से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।

8. यदि किसी अभ्यर्थी के शैक्षणिक संस्थानों से शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन में तथा जिला पदाधिकारी द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उनकी सेवा, बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमण आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने—जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस आदेश में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अरविन्दर सिंह,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2026

सं० 01/विधि-57/2017-2286(एस)—बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की वार्षिक साधारण बैठक / विशेष साधारण बैठक में भाग लेने हेतु श्री नवनीत प्रकाश, उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

21 मई 2026

सं० 1/स्था०-15/2025-3544(एस)—श्री अजीत कुमार प्रेम, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं० 1/स्था०-15/2025-3545(एस)—श्री अरविन्द प्रसाद गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

21 मई 2026

सं० 1/स्था०-12/2025-3539(एस)—श्रीमती मुदुला नारायण सिन्हा, मुख्य अभियंता, सीमांचल के सचिव (प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (योजना निरूपण, NHAI, भू-अर्जन एवं गुण नियंत्रण), उत्तर अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं० 1/स्था०-12/2025-3540(एस)—श्री अरुण कुमार, अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

21 मई 2026

सं० सं० 01/प्रो०-03/2026-3542(एस)—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में पथ निर्माण विभाग के अधीन गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.05.2026 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13A) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री राज कुमार	663, 1995/30	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
2	श्री सुनील कुमार सुमन	671, 1995/62	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
3	श्री सुशील कुमार	781 1997/17	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
4	श्री आशुतोष कुमार सिंह	782 1997/19	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
5	श्री अंजनी कुमार	788 1997/32	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
6	श्री अरविन्द कुमार सिंह	791 1997/37	मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :-

- (क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
- (ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में हैं उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरुद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एतद् संबंधी अन्यवादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

9 जून 2026

सं१/स्था०-12/2025-4028(एस)—श्री दीपेश कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) सम्प्रति उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं१/स्था०-12/2025-4029(एस)—श्री निशांत कुमार, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक प्रमंडल, सड़क सुरक्षा, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

24 जून 2026

सं०-1/स्था०-13/2002 (खण्ड-II)-4336(एस)—बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के Clause 81 of Articles of Association of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited & The New Companies ACT 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०, अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उक्त निगम के निदेशक के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

27 मई 2026

सं० 01/प्रो०-02/2026-3706(एस)—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में पथ निर्माण विभाग के अधीन गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.05.2026 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री सुनील कुमार सिन्हा	269/2011	मूल पद सहायक अभियंता (असैनिक)

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
2	श्री सुनील कुमार	842/2011	मूल पद सहायक अभियंता (असैनिक)
3	श्री दीपक कुमार मिश्रा	2012	मूल पद सहायक अभियंता (असैनिक)
4	श्री मनीष कुमार वर्मा	240/2014	मूल पद सहायक अभियंता (असैनिक)
5	श्री गणेश दास	806/2014	मूल पद सहायक अभियंता (असैनिक)

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :-

- (क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
- (ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में हैं उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरुद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एतद् संबंधी अन्य वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

30 जून 2026

सं० प्र०-01/स्था०-12/2025-4435(एस) — पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार) को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद पर निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम,	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- नालंदा।	कार्यपालक अभियंता, रा० उ० प० प्र०, डेहरी-ऑन-सोन, एट गया	अधीक्षण अभियंता रा०उ०पथ अंचल, प०नि०वि०, डेहरी-ओन-सोन।
2	श्री शैलेन्द्र भारती, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- मुंगेर।	अपने ही वेतनमान में अधीक्षण अभियंता बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	अधीक्षण अभियंता बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
3	श्री राणा प्रभाष चन्द्र, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला-पूर्णियाँ।	अपने ही वेतनमान में अधीक्षण अभियंता तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग	अधीक्षण अभियंता तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग
4	श्री जितेन्द्र प्रसाद, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला-रोहतास।	कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।
5	श्री तालकेश्वर कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- नालंदा।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम,	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
6	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पू० चम्पारण ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा	मुख्य अभि० उत्तर के सचिव (प्रा०), प०नि०वि०, पटना ।
7	श्री अंजनी कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला—सीतामढ़ी	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका	अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर
8	श्री अरुण कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला—शिवहर ।	अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर	अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, प०नि०वि०, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर ।
9	श्री अजय कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	कार्यपालक अभियंता (योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण)—4, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय ।	मुख्य अभि० के सचिव (प्रा०), अग्रिम योजना उपभाग, प०नि०वि०, पटना अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता अग्रिम योजना अंचल, प०नि०वि०, पटना ।
10	श्री अनिल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	सेतु निरूपण पदाधिकारी—3, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन पटना	अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना ।
11	श्री प्रभात कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला—प० चम्पारण ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, झंझारपुर	अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना ।
12	श्री अरुण कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— दरभंगा ।	अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना ।	अधीक्षण अभियंता, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
13	श्री राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— मधेपुरा ।	कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण, NHAI) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) का कार्यालय	अधीक्षण अभियंता, (योजना निरूपण, NHAI, भू-अर्जन एवं गुण नियंत्रण) राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, पटना ।
14	श्री सुशील कुमार झा, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— राँची (झारखण्ड) ।	कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग ।
15	श्री रवि वर्मा, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	कार्यपालक अभियंता (नीतिगत मामले)—मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) का कार्यालय ।	अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी ।
16	श्री शशि भूषण सिंह, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० ।
17	श्री अरविन्द प्रसाद गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर	अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, प०नि०वि०, भागलपुर ।
18	श्री खुशींद करीम, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— गिरिडिह (झारखंड) ।	कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० ।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम,	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
19	श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— गया।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रा0 उ0 प0 प्रमंडल, गुलजारबाग	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।
20	श्रीमती नीतू मणि, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— नालंदा।	अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन पटना	मुख्य अभि० के सचिव(प्रा०), केन्द्रीय निरूपण संगठन, प०नि०वि०, पटना।
21	श्रीमती रेजी सिंह, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— रोहतास।	कार्यपालक अभियंता (योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण)—4, मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग का कार्यालय।	अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण)—2 मुख्य अभियंता (पथ संधारण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय।
22	श्रीमती सीमा रानी, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना।	निदेशक प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान के तकनीकी सलाहकार	अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (योजना निरूपण, NHAI, भू-अर्जन एवं गुण नियंत्रण) (उत्तर) अंचल, पटना।
23	श्रीमती संजू कुमारी, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार)। गृहजिला— जहानाबाद।	अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल केन्द्रीय निरूपण संगठन पटना	अधीक्षण अभियंता (अनु०—3), प०नि०वि०, पटना , मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय।
24	श्रीमती रूबी रानी, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना।	कार्यपालक अभियंता (NH. RoB-2), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय।	अधीक्षण अभियंता, (नाबार्ड, बाह्य सम्पोषित, NH, RoB)—मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय।
25	श्री आलोक कुमार ठाकुर, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— दरभंगा।	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, पटना सिटी	अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, प०नि०वि०, हाजीपुर।
26	श्री संजय शर्मा, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— जहानाबाद।	अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, प०नि०वि०, हाजीपुर।	अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर।
27	श्री अभय कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— भागलपुर।	कार्यपालक अभियंता (नाबार्ड, बाह्य सम्पोषित)—मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय।	अधीक्षण अभियंता (योजना), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय।
28	श्री अरविन्द कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— शिवहर।	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, बेगुसराय	मुख्य अभि० दक्षिण के सचिव (प्रा०), प०नि० वि० पटना।
29	श्री राम कुमार यादव, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— मधुबनी।	अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, प०नि०वि०, दरभंगा।	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- नव पदस्थापित स्थल पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

27 मई 2026

सं० 01/प्रो०-02/2026-3708(एस)—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में पथ निर्माण विभाग के अधीन गठित विभागीय स्त्रीनिंग समिति की दिनांक 11.05.2026 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों को कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री संतपाल गुप्ता	20/2014	मूल पद सहायक अभियंता (यॉत्रिक)

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :-

- संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
- वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में हैं उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरुद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एतद् संबंधी अन्य वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

30 जून 2026

सं० प्र०-01/स्था०-12/2025-4437(एस)—पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यॉत्रिक) (कार्यकारी प्रभार) को कार्यरत में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद पर निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री दीपक कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	सहायक अभियंता, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सं०-2, पटना।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हाजीपुर
2	श्री पमीत कुमार शाही, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हाजीपुर।	कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
3	श्री समलदेव कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला-वैशाली।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना सिटी
4	श्री कृष्णानंद सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- रोहतास।	कार्यपालक अभियंता (बजट-2), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
5	श्री मनीष कुमार वर्मा, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला-औरंगाबाद।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, जहानाबाद।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा
6	श्री विकास चन्द्र, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- सारण।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा।	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, हिलसा
7	श्री नवल किशोर सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा।	कार्यपालक अभियंता-1, मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग का कार्यालय।
8	श्री अमरजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	कार्यपालक अभियंता-1, मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग का कार्यालय।	कार्यपालक अभियंता-3, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) का कार्यालय।
9	श्री अमित कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- नालंदा।	कार्यपालक अभियंता, रा0 उ0 प0 प्रमंडल, समस्तीपुर।	अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर।
10	श्री प्रतीक कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- रोहतास।	कार्यपालक अभियंता, रा0 उ0 प0 प्रमंडल, सीतामढ़ी।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद।
11	श्री धनंजय कुमार कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- औरंगाबाद।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद।	कार्यपालक अभियंता, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
12	श्री कृष्ण कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार) गृहजिला- नालंदा।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण)-1, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, बिहार, पटना।
13	श्री अविनाश कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला-पू० चम्पारण।	कार्यपालक अभियंता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, पटना	कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1, पटना
14	श्री अविनाश कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1, पटना।	कार्यपालक अभियंता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, पटना।
15	श्री रविकान्त, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- गोपालगंज।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा।	कार्यपालक अभियंता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, पटना
16	श्री गणेश दास, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- बांका।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बरौनी।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा
17	श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- बांका।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
18	श्री रविकान्त, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण)-1, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, बिहार, पटना।	कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
19	श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- पटना।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0 2, मुजफ्फरपुर।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका।
20	श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला- समस्तीपुर।	सहायक अभियंता (दक्षिण)-2 मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय।	कार्यपालक अभियंता, रा0 उ0 प0 प्रमंडल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शिवहर।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
21	श्री रणधीर कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— नालंदा ।	कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण)—2 मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा ।
22	श्री रामा शंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— सीवान ।	कार्यपालक अभियंता बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।	कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण)—2, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय ।
23	श्री संजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पूर्णियाँ ।	कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज ।
24	श्री बिमलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— गया ।	कार्यपालक अभियंता—2, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर ।
25	श्री सुरेन्द्र नारायण, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल ।	कार्यपालक अभियंता, रा० उ० प० प्र०, डेहरी—ऑन—सोन, एट गया ।
26	श्री गणेश जी, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— पटना ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं० 1, मुजफ्फरपुर ।	अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं० 2, मुजफ्फरपुर
27	श्री रितेश चन्द्र सिन्हा, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— गोपालगंज ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी ।	अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक, अभियंता पथ प्रमंडल, झंझारपुर ।
28	श्री रणजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— रोहतास ।	कार्यपालक अभियंता, रा० उ० प० प्रमंडल, बिहारशरीफ 2	कार्यपालक अभियंता, रा० उ० प० प्रमं०, लखीसराय एट मुंगेर ।
29	श्री जमील अहमद, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— मुजफ्फरपुर ।	कार्यपालक अभियंता, रा० उ० प० प्रमंडल, बिहारशरीफ 1	अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक, अभियंता रा० उ० प० प्रमंडल, बिहारशरीफ 2
30	श्री राजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— नालंदा ।	कार्यपालक अभियंता, महोत्मा गाँधी सेतु प्रमंडल, पटना ।	अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक, अभियंता रा० उ० प० प्रमंडल, गुलजारबाग ।
31	श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— नालंदा ।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया ।	अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय ।
32	श्री भारत भूषण, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार), गृहजिला— जहानाबाद ।	अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार पथ अंचल, मुंगेर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल ।
33	श्री संतपाल गुप्ता, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)/ पटना ।	सहायक अभियंता (यांत्रिक)—2, सड़क सुरक्षा कार्य० अभि० (यां०), सड़क सुरक्षा यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना का कार्यालय, बिहार, पटना	कार्यपालक अभियंता (यां०), तकनीकी उन्नति, प०नि०वि०, पटना । प्रतिनियुक्त परिवहन विभाग, बिहार के नियंत्राधीन कार्यरत लीड एजेन्सी (बिहार सड़क सुरक्षा परिषद) ।

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
- पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
- नव पदस्थापित स्थल पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय ।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

30 जून 2026

सं० प्र०-02/स्था०-विविध (असैनिक) 12-04/2026-4439(एस)—पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार) को कार्यरत में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद पर निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	सुश्री प्रतिमा कुमारी / पटना	पथ अवर प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर।	पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, शेरघाटी।
2	श्रीमती शालिनी / वैशाली	स०अ०, अग्रिम योजना प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	पथ अवर प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर।
3	मो० आरिफ / औरंगाबाद	पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, शेरघाटी।	स०अ०, अग्रिम योजना प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
4	श्री ब्रह्मदेव प्रसाद / दरभंगा	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।	नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सं०-1, पटना।
5	श्री अतुल कुमार पाण्डेय / सारण	गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज।	स०अ० (अनुश्रवण), पथ अंचल, दरभंगा।
6	श्री कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव / उत्तर प्रदेश	अवर सचिव (प्र०को०)	पथ अवर प्रमंडल, सासाराम।
7	श्री सौरभ राय / उत्तर प्रदेश।	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	अवर सचिव (प्र०को०)।
8	श्रीमती ऋचा सिंह / औरंगाबाद	स०अ० (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, बेगुसराय।	सहायक अभियंता (योजना निरूपण)-1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग।
9	श्री सुनील कुमार सुमन / वैशाली।	पथ प्रमंडल, छपरा।	पथ अवर प्रमंडल, दिघवारा।
10	श्रीमती अनामिका, / पटना	रा०उ०प० अवर प्रमंडल, गुलजारबाग-2	पथ अवर प्रमंडल, डिहरी।
11	श्री प्रकाश मिश्र / राँची (झारखण्ड)	पथ अवर प्रमंडल, डिहरी	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, गया।
12	श्री नागेन्द्र / बक्सर	उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना।	पथ अवर प्रमंडल, तारापुर।
13	श्री विट्ठु कुमार / नालन्दा	पथ अवर प्रमंडल, तारापुर	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०।
14	श्री आलम सगीर मो० रसूल / गोपालगंज	वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर।	पथ अवर प्रमंडल, महुआ।
15	मो० अजीज मोख्तार, / पटना	स०अ० (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, भभुआ।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण)-4, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय।
16	श्री विवेक कुमार, / वैशाली	पथ अवर प्रमंडल सं०-2, सहरसा।	पथ अवर प्रमंडल, राघोपुर।
17	मो० ताहिर अंसारी / जमुई	पथ अवर प्रमंडल, टेकारी।	पथ अवर प्रमंडल सं०-1, गया।
18	श्रीमती प्रज्ञा अनोखे / मेरठ (उत्तरप्रदेश)	सहायक अभियंता-1, अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण-2) का कार्यालय	बिहार भवन नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त।
19	श्री निशांत कुमार / भोजपुर	रा०उ०प० अवर प्रमंडल, हरनौत।	पथ अवर प्रमंडल, चौसा।
20	श्री चन्दन कुमार गुप्ता / रोहतास	पथ अवर प्रमंडल, चौसा।	रा०उ०प० अवर प्रमंडल, हरनौत।
21	श्री निशान्त राज / नालन्दा।	पथ अवर प्रमंडल सं०-1, गया।	पथ अवर प्रमंडल, टेकारी।
22	श्री विकास कुमार / पश्चिमी चम्पारण	बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (स्वास्थ्य विभाग)	सहायक अभियंता, योजना-4 मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय।
23	श्री रितेश कुमार / रोहतास	पथ प्रमंडल, हाजीपुर।	नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सं०-2, पटना।
24	सुश्री मोनिका / पटना	गुण नियंत्रण, रा०उ०प० अवर प्रमंडल, लक्खीसराय एट मुंगेर।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
25	श्री सन्नी कुमार / मुजफ्फरपुर	स०अ० (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, खगड़िया।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण)-9, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
26	श्री राम प्रवेश चौधरी, / भागलपुर।	रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा	पथ अवर प्रमंडल, खड़गपुर।
27	श्री भगवान दत्त यादव / दरभंगा।	पथ अवर प्रमंडल, खड़गपुर।	रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा।
28	श्री अरविन्द कुमार यादव / पटना।	पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ	पथ अवर प्रमंडल, हरनौत (बिहारशरीफ)।
29	श्री मनोज कुमार, / पटना।	पथ अवर प्रमंडल, हरनौत (बिहारशरीफ)	पथ अवर प्रमंडल, जहानाबाद।
30	श्री कृष्ण कुमार पंडित, / सारण	गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, सीवान।	पथ अवर प्रमंडल, मोकामा।
31	श्री बबलू कुमार, / भोजपुर	पथ अवर प्रमंडल, मोकामा।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
32	श्रीमती संजना सिंह / भोजपुर	सहायक अभियंता (योजना-3), मु0अ0 बजट एवं योजना का कार्यालय।	नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल, पटना।
33	श्रीमती प्रियंका राज / नालन्दा	नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल, पटना।	सहायक अभियंता (योजना-3), मु0अ0 बजट एवं योजना का कार्यालय।
34	श्री प्रभाष देव कुमार / सुपौल	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।	नगर विकास एवं आवास विभाग।
35	श्री राजेश कुमार / पू० चम्पारण।	पथ प्रमंडल, बेतिया।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम
36	श्री राजेश कुमार, / बेगुसराय।	पथ अवर प्रमंडल सं0-1, रोसड़ा।	गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, खगड़िया।
37	श्रीमती शोभा कुमारी / पटना	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल, पटना।	सहायक सेतु अभियंता-6 (सेतु विशेषज्ञ)।
38	श्री हरिवंश राय बच्चन / जहानाबाद	पथ प्रमंडल, शेरघाटी।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम
39	श्री साहेब कुमार / पश्चिम चम्पारण	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), केन्द्रीय पथ अंचल, पटना।	पथ अवर प्रमंडल सं0-1, रोसड़ा।
40	श्री विवेक कुमार / सीवान	पथ अवर प्रमंडल, दिघवारा।	पथ अवर प्रमंडल सं०-2, छपरा।
41	श्री जगजीत कुमार, / रोहतास।	स0अ0 (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल सं०-2, मुजफ्फरपुर।	सहायक अभियंता-4, अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण-2) का कार्यालय।
42	सुश्री अनुराधा कुमारी / शेखपुरा।	गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ।	सहायक अभियंता (अनु0), केन्द्रीय पथ अंचल, पटना।
43	सुश्री वन्दना कुमारी / सारण	सहायक अभियंता, लेखा परीक्षा-2, मुख्य अभियंता संविदा का कार्या0।	सहायक अभियंता (सीमाचल)-3 मुख्य अभियंता, (सीमाचल) उपभाग का कार्यालय।
44	श्री विजय कु0 मिश्रा / देवरिया (उत्तरप्रदेश)	पथ अवर प्रमंडल सं0-2, गोपालगंज।	नगर विकास एवं आवास विभाग।
45	सुश्री मानसी / पटना	सहायक अभियंता-6, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय।	सहायक अभियंता (सीमाचल)-2, मुख्य अभियंता, (सीमाचल) उपभाग का कार्यालय।
46	श्रीमती रश्मि लता, / नालन्दा	रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, गुलजारबाग-1	पथ अवर प्रमंडल सं0-2, दरभंगा।

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- नव पदस्थापित स्थल पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुमित वत्स,
अवर सचिव (प्र०को०)।

30 जून 2026

सं० प्र०-01/स्था०-21/2024-4441 (एस)—पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार) को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद पर निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्रीमती प्रियंका कुमारी/सिवान।	कार्यपालक अभियंता (बजट-1), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	कार्यपालक अभियंता-2, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग।
2	श्री मधुसूदन आनन्द डम्पी/औरंगाबाद	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, डिहरी ऑन सोन
3	श्री प्रभाकर/नालंदा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, डिहरी ऑन सोन।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. नव पदस्थापित स्थल पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

30 जून 2026

सं० 01/स्था०-21/2024-4443 (एस)—पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियंता (असैनिक) (कार्यकारी प्रभार) को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद पर निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	श्री अरुण कुमार चौधरी/मुंगेर	सहायक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन	पथ अवर प्रमंडल, बिहटा
2	श्री चन्द्रशेखर चौधरी/भोजपुर	पथ अवर प्रमंडल, बिहटा	सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण)-4, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय।
3	श्री संजीव कुमार/अरवल	पथ अवर प्रमंडल सं०-1, औरंगाबाद	पथ अवर प्रमंडल, आरा
4	श्री विवेक कुमार/रोहतास	पथ अवर प्रमंडल, आरा	पथ अवर प्रमंडल सं०-1, औरंगाबाद।
5	श्री चन्द्र मोहन सिंह/बांका	सहायक सेतु अभियंता-4 (सेतु विशेषज्ञ)।	सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण)-2, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय।
6	श्री अनिल कुमार/पटना	पथ अवर प्रमंडल, पिपराडीह	पथ अवर प्रमंडल, हिलसा
7	श्री देवेन्द्र कुमार/सिवान	पथ अंचल, दरभंगा	स०अ० (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, दरभंगा।
8	मो० वाहिद आलम/बेगूसराय	पथ प्रमंडल, दरभंगा	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, बेनीपुर।
9	श्री संजय कुमार गुप्ता/पूर्वी चम्पारण।	सहायक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, पटना	उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-1, पटना।
10	श्री चितरंजन कुमार गुप्ता/रोहतास	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, शेरघाटी।	पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, गयाजी।
11	श्रीमती प्रियंका कुमारी/सिवान	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, छपरा।	पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
12	श्री कुलानन्द चौधरी/मधुबनी	गुण नियंत्रण, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी।	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ अंचल, दरभंगा।
13	श्री देवेन्द्र कुमार/सिवान	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ अंचल, दरभंगा।	पथ अवर प्रमंडल, चकिया
14	श्री अमित कुमार सैनी/मुजफ्फरपुर	पथ अवर प्रमंडल, चकिया	उड़नदस्ता प्रमंडल सं0- 3, पटना।
15	श्री संजीव सिंह/पूर्वी चम्पारण	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, दरभंगा।	पथ अवर प्रमंडल, दलसिंहसराय
16	श्री कुमार सिद्धार्थ/मधुबनी	पथ अवर प्रमंडल, दलसिंहसराय	रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, गुलजारबाग-2
17	श्री विनय केसरवानी/प्रतापगढ़ (उ०प्र०)।	पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा	सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण)-2, मुख्य अभियंता, (सीमांचल) उपभाग का कार्यालय।
18	श्री अजय कुमार पाल, स०अ०/गया	पथ अवर प्रमंडल सं0-2, बेतिया	पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा
19	श्री सतीश कुमार चौधरी/मुंगेर	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम	पथ अवर प्रमंडल, बेतिया-2
20	श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डल/पटना।	सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा।	पथ अवर प्रमंडल-2, बेनीपुर
21	श्री हर्ष हिमांशु/कटिहार	सहायक अभियंता (अनु0), रा0उ0प0 अंचल, पूर्णियाँ	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।
22	श्रीमती प्रियंका कुमारी/रोहतास	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, सिवान	रा0उ0प0 गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद।
23	श्री अजय कुमार सिन्हा/बांका	सहायक अभियंता (अनु0), रा0उ0प0 प्रमंडल, बिहारशरीफ	पथ अवर प्रमंडल, सबौर (भागलपुर)।
24	श्री चन्द्रमा प्रसाद/भोजपुर	सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण), पथ प्रमंडल, अरवल।	पथ अवर प्रमंडल, दाउदनगर।
25	श्री सुरेश कुमार मंडल/बांका	राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, समस्तीपुर।	स0अ0 (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, भागलपुर।
26	मो० फरीद अहमद/सुपौल (संविदा)	पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा	पथ अवर प्रमंडल, जयनगर
27	श्री सुनील कुमार/पूर्वी चम्पारण	पथ अवर प्रमंडल, जयनगर	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर।
28	श्री राम बसंत कुमार सिंह/भोजपुर (आरा)।	केन्द्रीय पथ अंचल, पटना	सहायक अभियंता (अनु0), केन्द्रीय पथ अंचल, पटना
29	श्री गौरव कुमार/खगड़िया	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ	पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा
30	श्री विनय किशोर सिंह/छपरा	पथ अवर प्रमंडल, मैरवा, सिवान	स०अ० (अनुश्रवण), सारण पथ अंचल, हाजीपुर।
31	श्री संजय कुमार/खगड़िया	सहायक अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग।	पथ अवर प्रमंडल, बेगूसराय।
32	श्री सोनू कुमार/औरंगाबाद	पथ अवर प्रमंडल, बेगूसराय।	पथ अवर प्रमंडल, पिपराडीह
33	श्री अनिल कुमार/पटना	पथ अवर प्रमंडल, पिपराडीह।	पथ अवर प्रमंडल, हिलसा
34	श्री सत्यजीत कुमार/मुंगेर	पथ अवर प्रमंडल, झंझारपुर।	पथ अवर प्रमंडल, फॉरबिसगंज
35	श्री गोपाल मण्डल/कटिहार	पथ अवर प्रमंडल, ठाकुरगंज।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम
36	श्री कृष्ण कुमार/समस्तीपुर।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), बांका।	पथ अवर प्रमंडल, बरौनी, पथ प्रमंडल, बेगूसराय।
37	श्री लक्ष्मी नारायण मेहता/नवादा।	सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।
38	श्री सिद्धार्थ कुमार/पूर्णियाँ	सहायक अभियंता, पथ अंचल,	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
		भागलपुर।	लिमिटेड।
39	श्री राम प्रसाद सिंह/मुंगेर	सहायक अभियंता (याँ0), यांत्रिक अवर प्रमंडल सिवान।	यांत्रिक अवर प्रमंडल, पूर्णियाँ
40	श्री विनय कुमार/पू० चम्पारण	सहायक निदेशक, एन0एच0 प्रमंडल, पूर्णियाँ।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, ढाका।
41	श्री संजीव कुमार सुन्दरम/प० चम्पारण।	सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर।	स0अ0 (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, हाजीपुर।
42	श्री वाहिद अंसारी/सिवान	पथ अवर प्रमंडल, हथुआ। (गोपालगंज)।	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, सोनपुर।

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- नव पदस्थापित स्थल पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

16 जून 2026

सं० ग्रा०वि० 07(वीबी-जी राम जी)-03/2026-5773433—विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार 2026 के अध्याय XIII (धारा 32 एवं 33) के उपबंधों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कृषि विभाग, बिहार द्वारा राज्य अंतर्गत विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र तथा कृषि के स्थानीय पैटर्न के आधार पर चिन्हित कृषि के चरम मौसम के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार एतद द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार राज्य में कृषि-चरम मौसम (पीक एग्रीकल्चरल सीजन) की अवधियाँ, जिनके दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा, निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

2. अधिसूचित कृषि-चरम मौसम की अवधियाँ।—फसलों (धान एवं गेहूँ) की बुआई एवं कटाई के चरम मौसम की कृषि-जलवायु क्षेत्रवार अवधियाँ निम्नलिखित हैं, जिनके दौरान योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ, स्वीकृत अथवा क्रियान्वित नहीं किया जाएगा :-

क्र. सं.	कृषि-जलवायु क्षेत्र	सम्बन्ध जिले	फसल	बुआई की अवधि	कटाई की अवधि
1	कृषि -जलवायु क्षेत्र- I (उत्तर-पश्चिम)	पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज एवं बेगूसराय	धान	20 जून से 10 जुलाई	22 अक्टूबर से 03 नवम्बर
2	कृषि -जलवायु क्षेत्र- I (उत्तर-पश्चिम)	पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज एवं बेगूसराय	गेहूँ	05 नवम्बर से 25 नवम्बर	20 मार्च से 30 मार्च
3	कृषि -जलवायु क्षेत्र- II (उत्तर-पूर्व)	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अरारिया एवं किशनगंज	धान	25 जून से 15 जुलाई	28 अक्टूबर से 06 नवम्बर

4	कृषि -जलवायु क्षेत्र- II (उत्तर-पूर्व)	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अरारिया एवं किशनगंज	गेहूँ	08 नवम्बर से 28 नवम्बर	25 मार्च से 05 अप्रैल
5	कृषि -जलवायु क्षेत्र- III A (दक्षिण-पूर्व जलोढ मैदान)	शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर एवं बाँका	धान	01 जुलाई से 20 जुलाई	08 नवम्बर से 18 नवम्बर
6	कृषि -जलवायु क्षेत्र- III A (दक्षिण-पूर्व जलोढ मैदान)	शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर एवं बाँका	गेहूँ	20 नवम्बर से 10 दिसम्बर	01 अप्रैल से 10 अप्रैल
7	कृषि -जलवायु क्षेत्र- III B (दक्षिण-पश्चिम जलोढ मैदान)	रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ (कैमूर), अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया	धान	30 जून से 19 जुलाई	05 नवम्बर से 15 नवम्बर
8	कृषि -जलवायु क्षेत्र- III B (दक्षिण-पश्चिम जलोढ मैदान)	रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ (कैमूर), अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया	गेहूँ	20 नवम्बर से 10 दिसम्बर	01 अप्रैल से 10 अप्रैल

3. प्रतिबंध एवं विधिक प्रभाव।-

- उपर्युक्त तालिका में अधिसूचित अवधियों के दौरान योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य प्रारंभ, स्वीकृत अथवा क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।
- कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अन्य सभी कार्यान्वयन प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अधिसूचित चरम कृषि मौसमों के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य प्रारंभ न किया जाए।
- विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपीएस) एवं वार्षिक श्रम माँग (लेबर डिमांड) तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्य केवल अधिसूचित चरम कृषि मौसमों के बाहर ही प्रस्तावित किए जाएँ।
- क्षेत्र-विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा धारा-33 के अंतर्गत जिला, प्रखंड अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर अलग से पृथक अधिसूचनाएँ जारी की जा सकती हैं।
- विशेष परिस्थिति यथा- प्राकृतिक आपदा एवं असाधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्धारित अवधियों में छुट प्रदान कर सकती है।

4. अपवाद।-उपर्युक्त प्रतिबंध के बावजूद योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, मजदूरी का विलंब क्षतिपूर्ति भुगतान तथा प्रशासनिक एवं योजना-निर्माण संबंधी कार्य इन अवधियों में भी जारी रहेंगे।

5. बाध्यकारी प्रभाव।-यह अधिसूचना विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 तथा योजना के उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी प्रभाव रखेगी। किसी असंगति की स्थिति में अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

24 जून 2026

सं० ग्राववि० 07 (वीबी-जी राम जी)-07/2026-5818886-विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 15 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार सरकार एतद द्वारा राज्य स्तरीय संचालन समिति के गठन निम्नरूपेण की जाती है :

राज्य स्तरीय संचालन समिति

1. समिति का नाम एवं स्थापना

- इस समिति का नाम "राज्य स्तरीय संचालन समिति" (जिसे आगे "राज्य संचालन समिति" कहा जाएगा) होगा।
- राज्य संचालन समिति की स्थापना विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत की जाती है।
- राज्य संचालन समिति का मुख्यालय पटना, बिहार में होगा।

2. **राज्य संचालन समिति की संरचना एवं सदस्यता**।—राज्य संचालन समिति बिहार के मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क्रम सं०	पद/नामांकन	समिति में भूमिका
i	मुख्य सचिव, बिहार सरकार अथवा अपर मुख्य सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी	अध्यक्ष
ii	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
iii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
iv	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
v	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
vi	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
vii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
viii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
ix	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
x	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
xi	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
xii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य
xiii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	सदस्य
xiv	बिहार सरकार द्वारा निर्धारित विषय-विशेषज्ञ	सदस्य
xv	तकनीकी या शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि (बिहार सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
xvi	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
xvii	आयुक्त, विकसित भारत जी राम जी योजना	सदस्य-सचिव

3. **राज्य संचालन समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व**।—विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के अध्याय V की धारा 9(3) के अनुसार राज्य संचालन समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :

- राज्य-भर में योजना-निर्माण और अभिसरण (कन्वर्जेंस) की निगरानी करना।
- जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा विलंब, कमियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के साथ नियमित समन्वय करना एवं केन्द्र के दिशा-निर्देशों का राज्य स्तर पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।
- राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, अनुश्रवण व्यवस्थाओं और प्रक्रिया-सुधारों को समर्थन प्रदान करना।
- विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) एवं विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के साथ कार्यों के अभिसरण की निगरानी करना।

4. **व्यापकता / असंगति**।—यह अधिसूचना विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के प्रावधानों के अनुसार पढ़ी और लागू की जाएगी। किसी असंगति की स्थिति में अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

24 जून 2026

सं० ग्रा०वि० 7 (वीबी-जी राम जी)-09/2026-5818887—विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 17 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार 2026 के अध्याय V की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार एतद द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है:-

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी)**।— विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार 2026 के अध्याय V की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, बिहार के समस्त जिलों के जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता को

- उनके—उनके जिले में विकसित भारत—जी राम जी योजना, बिहार 2026 (जिसे इस अधिसूचना में आगे “योजना” कहा गया है) के कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाता है ।
2. **जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं कार्य** ।—योजना की धारा 11 की उपधाराओं (2), (3) एवं (4) के अधीन जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:—
- क) **जिला समेकित योजना** ।— जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समेकित योजना के संकलन और अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिले में अभिसरण, क्रियान्वयन और योजना का अनुश्रवण करेगा ।
 - ख) **अभिसरण एवं क्रियान्वयन** ।— जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और योजना के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्रदान करेगा ।
 - ग) **समन्वय एवं अनुश्रवण** ।— जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा अधिनियम और योजना के अंतर्गत स्थापित अनुश्रवण रूपरेखा, प्रबंधन सूचना प्रणाली और जवाबदेही तंत्र का उपयोग करते हुए उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे ।
 - घ) **निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण** ।— जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का आवधिक निरीक्षण करेंगे, गुणवत्ता एवं उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नामित शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेंगे ।
 - ङ) **शिकायत निवारण** :— जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध राज्य शिकायत निवारण प्राधिकार के समक्ष अपील की जाएगी ।
3. **अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक** ।— उपर्युक्त के साथ-साथ, धारा 11 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के समस्त जिलों में उप विकास आयुक्त (Deputy Development Commissioner) को उनके—उनके जिले में योजना के कार्यान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने हेतु अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाता है ।
4. **अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं कार्य** ।—अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (उप विकास आयुक्त) निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे:—
- क) **दिन-प्रतिदिन का परिचालन** ।—योजना के अंतर्गत जिले में दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक एवं परिचालन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को योजना के समुचित क्रियान्वयन में सहायता करेंगे ।
 - ख) **योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति** ।— प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे ।
 - ग) **प्रगति अनुश्रवण** ।— जिले में कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों की कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे और जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवधिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।
 - घ) **डिजिटल अनुपालन** ।— जिले में एम०आई०एस० प्रविष्टि, जियो-टैगिंग, बायोमेट्रिक अनुश्रवण तथा योजना के MIS पोर्टल पर डेटा की शुद्धता एवं समयबद्ध अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
 - ङ) **अंकेक्षण** ।— प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह तक विगत वर्ष के व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।
 - च) **समन्वय** ।— लाइन विभागों तथा जिला स्तर पर कार्यरत अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ताकि अभिसरण एवं समेकित योजना क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।
 - छ) **महत्वपूर्ण वित्तीय, नीतिगत एवं प्रबंधन से सम्बंधित विषयों पर जिला पदाधिकारी —सह—जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।**
 - ज) **जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजित कार्य** ।— जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे ।
5. **जवाबदेही** ।—जिला पदाधिकारी —सह— जिला कार्यक्रम समन्वयक विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 और उसके अधीन बनाये गए उपबंधों के अनुसार जिला में विकसित

- भारत-जी राम जी योजना बिहार 2026 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।
6. विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की धारा 11 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं दायित्व प्रभावी होने के उपरांत महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 14 (3) में निहित प्रावधानों के तहत निर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक का कर्तव्य एवं दायित्व निरसित हो जाएगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सं० ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी) -11/2026-5927731
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

15 जुलाई 2026

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत अंगीकृत करने एवं विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को अधिकृत करने के संबंध में ।

केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

2. महात्मा गांधी नरेगा एक जुलाई 2026 से निरसित हो जाने के फलस्वरूप विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जनभागीदारिता से परियोजनाओं का निगरानी करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाये गये दोष का पता लगाकर उन्हें दूर करने हेतु विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम, 2025 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी का अंगीकरण किया जाना है ।

3. विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम, 2025 के धारा 20 अनुसार ग्राम सभा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण करेगी । ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर स्कीम के अधीन लिए गए सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी । ग्राम पंचायत, सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख और दस्तावेज, जिनके अंतर्गत मस्टर रोल, बीजक, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो-टैग्ड फोटोचित्र और अन्य सभी संबंधित लेखा बहियां और कागज पत्र भी हैं, चाहे भौतिक रूप में या इलक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएं, ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी । साथ ही अधिनियम के अनुसूची I के कंडिका 25 (1) में उल्लेखित है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक योजना में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आज्ञापरक सार्वजनिक प्रकटीकरण और **Social Audit** सहित व्यापक उपबंध होंगे ।

अधिनियम के अनुसूची I के कंडिका 25 (3) a अनुसार इस अधिनियम के अधीन सभी कार्य, व्यय और गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार **Social Audit** के अध्याधीन होंगे । कंडिका 25 (3) b अनुसार **Social Audit** आयोजित करने की प्रक्रिया, मानक और तौर-तरीके इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित किए जाएंगे । कंडिका 25 (3) c अनुसार ऐसे नियमों के अधिसूचित होने तक महात्मा गाँधी नरेगा योजना के **Social Audit Rule, 2011** के उपबंध इस अधिनियम के अधीन **Social Audit** के संचालन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

4. विकसित भारत— रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत— जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के अंगीकरण के फलस्वरूप विकसित भारत— रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत— जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अनुसूची I के कंडिका 25 (3) के आलोक में **Social Audit Rule, 2011** के उपबंध इस अधिनियम के अधीन **Social Audit** के संचालन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

5. विकसित भारत— रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत— जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से इसके अंतर्गत कार्यशील सभी स्वीकृत पद, अपने कार्य एवं दायित्व के साथ यथावत कार्य करते रहेंगे ।

6. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.07.2026 को आहूत बैठक की मद संख्या— 05 में लिए गये निर्णय के आलोक में महात्मा गांधी नरेंगा अंतर्गत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को विकसित भारत— रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत— जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत अंगीकृत करने एवं विकसित भारत—जी राम जी योजना, बिहार, 2026 का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को इस योजना अंतर्गत अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई 2026

सं०-प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-33/2015-4468—श्री जगन्नाथ पासवान (पदनाम-मुख्य अभियन्ता, असेनिक, कार्यकारी प्रभार/आई०डी०-4395/गृह जिला-दरभंगा), मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री सुनील कुमार(पदनाम-मुख्य अभियन्ता, असेनिक, कार्यकारी प्रभार/आई०डी०-4442/गृह जिला-मधेपुरा), मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर) मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
3. उक्त पदाधिकारी नवपदस्थापित पद का प्रभार प्रतिवेदन नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे ।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

15 जुलाई 2026

अधि०सं०-प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-27/2021-4605—विभागीय अधिसूचना सं०-4886 दिनांक 29.12.2020 द्वारा विभाग के अधीन बिहार अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पद पर श्रीमती नम्रता सिंह की नियुक्ति की गयी । श्रीमती सिंह वर्तमान में अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सिंधवाड़ा (कमतौल), दरभंगा के पद पर पदस्थापित हैं ।

2. श्रीमती सिंह की शादी से पूर्व नियुक्ति के समय स्थायी पता-D/o- श्री अरविन्द कुमार, यूनिटी हाउस, प्रथम तल्ला, सिद्धार्थपुरम, लेन-02, रामदयालू नगर, सदर थाना, पोस्ट- रमना, जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड-842002 था एवं विवाह के पश्चात् उनका स्थायी पता-W/o-श्री किसलय वर्द्धन, रोड नं0-4A, श्री कृष्ण विहार कॉलोनी, बेउर, फुलवारी, जिला- पटना, पिन कोड-800002 है ।

3. मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-595 दिनांक-07.04.2026 एवं 964 दिनांक-09.06.2026 के माध्यम से श्रीमती सिंह का पत्रांक-30 दिनांक- 16.03.2026, निवास प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं विवाह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है ।

4. अतएव श्रीमती नम्रता सिंह(पदनाम-सहायक अभियन्ता, यंत्रिक/आई0डी0 सं0-M200017), अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सिंघवाड़ा(कमतौल), दरभंगा का विवाह प्रमाण-पत्र एवं उनके पति के अधिवास के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम-169(क) एवं परिशिष्ट-14 की कंडिका-7 में वर्णित प्रावधान के आलोक में उनका गृह जिला- मुजफ्फरपुर के स्थान पर 'पटना' परिवर्तित किया जाता है ।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

23 जून 2026

सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-03/2025-4147—लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नांकित अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियन्ताओं को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/आई0डी0 सं0/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/ प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री ध्रुव नारायण /अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/5179/पटना	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, छपरा । <u>अतिरिक्त प्रभार-</u> 1. अधीक्षण अभियन्ता(मु0), योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना । 2. प्रबंध निदेशक, बिहार जल विकास निगम, पटना । 3. प्रबंध निदेशक, भाल्को, पटना ।	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर	1. अधीक्षण अभियन्ता(मु0), योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना 2. प्रबंध निदेशक, भाल्को, पटना 3. प्रबंध निदेशक, बिहार जल विकास निगम, पटना ।
2	श्री कुमार मुकेश /अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/5182/नवादा	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर <u>अतिरिक्त प्रभार-</u> 1. अधीक्षण अभियन्ता -सह- तकनीकी सचिव, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, पटना	अधीक्षण अभियन्ता(मु0), उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।
3	श्री राजेन्द्र कुमार /अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/5100/गोपालगंज	अधीक्षण अभियन्ता(कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, पटना <u>अतिरिक्त प्रभार-</u> 1. अधीक्षण अभियन्ता -सह-तकनीकी सचिव, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार) लघु सिंचाई अंचल, छपरा	अधीक्षण अभियन्ता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना

क्र० सं०	नाम/पदनाम/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/ प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
		<u>प्रतिनियुक्त-</u> 1. अधीक्षण अभियंता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।		
4	श्री संजीव कुमार सिंह /अधीक्षण अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/5159/पटना	अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), रूपांकण/अन्वेषण/गुण-नियंत्रण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना <u>अतिरिक्त प्रभार-</u> 1. अधीक्षण अभियंता-सह- तकनीकी सचिव, मुख्य अभियंता का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर 2. अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर ।	अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर	अधीक्षण अभियंता -सह-तकनीकी सचिव, मुख्य अभियंता का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर ।
5	श्री राजेश कुमार /अधीक्षण अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/4407/रोहतास	अधीक्षण अभियंता (मु०), कार्यकारी प्रभार, अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना <u>प्रतिनियुक्त-</u> अधीक्षण अभियंता (मु०), उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	अधीक्षण अभियंता (मु०), कार्यकारी प्रभार,रूपांकण/ अन्वेषण/गुण- नियंत्रण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाता है ।
6	श्री आलोक प्रसाद /अधीक्षण अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/4414/रोहतास	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा	अधीक्षण अभियंता(कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, सहरसा	
7	श्री अमरेन्द्र कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140007/बेगूसराय	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, हाजीपुर(वैशाली) <u>अतिरिक्त प्रभार</u> प्रभारी, विभागीय नलकूप कोषांग	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), अधीक्षण अभियंता (मु०) का कार्यालय, योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	प्रभारी, विभागीय नलकूप कोषांग
8	श्री अरविन्द कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140020/पटना	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, सारण (छपरा)	
9	श्री संतोष कुमार/ कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140014/गया जी	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा	

क्र० सं०	नाम/पदनाम/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/ प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
10	श्री विजय कुमार वर्मा /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140008/नालन्दा	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद	
11	श्री रौशन गोयल /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140002/बांका	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा	
12	श्री ईश्वर चन्द्र प्रसाद गुप्ता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140013/बक्सर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), अधीक्षण अभियंता (मु०) का कार्यालय, योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना अतिरिक्त प्रभार 1. कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार), अधीक्षण अभियंता (मु०) का कार्यालय, उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना 2. कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार),अधीक्षण अभियंता (मु०) का कार्यालय,रूपांकण/ अन्वेषण/गुण-नियंत्रण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया जी	सभी अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है ।
13	श्री हरेन्द्र कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140017/वैशाली	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया जी	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका	
14	श्री युक्ति नाथ मिश्र /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140010/भोजपुर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, मोतिहारी	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), अधीक्षण अभियंता (मु०) का कार्यालय, रूपांकण/अन्वेषण/ गुण-नियंत्रण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।	
15	श्री रंजीत कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140015/भागलपुर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया ।
16	श्री सुनील कुमार मंडल /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/ C140024/मधुबनी	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर(वैशाली)	अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है ।

क्र० सं०	नाम/पदनाम/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/ प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
17	श्री अजीत कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार) / C140025/मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, छपरा	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, गया जी	
18	श्री अशोक कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/ C140028/गया जी	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, अरवल	
19	श्री दीपक कुमार /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार) /C140027/वैशाली	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, दरभंगा	
20	मो० मुमताज अहमद /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार) /C140018/मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, शिवहर	-	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी
21	श्री अमित रंजन /कार्यपालक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)/C140012/पटना	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, अरवल	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), अधीक्षण अभियंता (मु०) का कार्यालय, उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	
22	श्री पंकज कुमार /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M2000001/गोपालगंज	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, चकाई(जमुई)	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधेपुरा	
23	श्री नितेश /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M2000002/भागलपुर	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल बांका	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा	
24	श्री राजीव कुमार सिंह /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M2000003/सारण(छपरा)	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, दानापुर(पटना) प्रतिनियुक्त मुख्यालय अनुश्रवण	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, पटना	प्रतिनियुक्त मुख्यालय अनुश्रवण कोषांग
25	श्री अशोक कुमार /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M2000004/भागलपुर	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल हाजीपुर(वैशाली)	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर	
26	श्री रवीन्द्र कुमार साह /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M2000005/मुजफ्फरपुर	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, कटोरिया(बांका)	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा	

क्र० सं०	नाम/पदनाम/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/ प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
27	श्री नीतीश कुमार /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M200006/गया जी	सहायक अभियंता, निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, मुख्य अभियंता(यो०+अनु०+भू०) का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना प्रतिनियुक्त विभागीय नलकूप कोषांग	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर	प्रतिनियुक्त विभागीय नलकूप कोषांग, पटना
28	मो० माशूक फैजी /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M200007/औरंगाबाद	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी	
29	श्री सुजीत कुमार /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M200009/दरभंगा	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, काको(जहानाबाद)	कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी	
30	श्री अनुराग कुमार /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M200010/पटना	सहायक अभियंता, भूगर्भ प्रयोगशाला, मुख्य अभियंता (यो०+अनु०+भू०) का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना प्रतिनियुक्त विभागीय नलकूप कोषांग	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, सारण(छपरा)	प्रतिनियुक्त विभागीय नलकूप कोषांग, पटना
31	श्री अभिषेक कुमार /कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक, कार्यकारी प्रभार) /M200011/मुंगेर	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, चैनपुर(कैमूर)	तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर	

2. उक्त पदाधिकारी नव पदस्थापन/नव अतिरिक्त प्रभार के पद का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे।

3. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी दिनांक-07.07.2026 तक निश्चित रूप से नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा दिनांक-08.07.2026 को स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी माह- जुलाई, 2026 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

24 जून 2026

सं० प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-०५/२०२३-४१५६—लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	सहायक अभियंता का नाम/ कोटि/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द कुमार/ यांत्रिक/M200008/सीतामढ़ी	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ <u>अतिरिक्त प्रभार</u> प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार	
2	सुश्री अंजू कुमारी/ असैनिक/C220009/बक्सर	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, रामगढ़(कैमूर)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बिहारशरीफ(नालन्दा)	
3	श्री सर्वजीत कुमार/ असैनिक/C220007/नालन्दा	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, इमामगंज(गया जी)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, शेखपुरा	
4	मो० मुजफ्फर सबा/ असैनिक/C220004/नालन्दा	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, गोविन्दपुर(नवादा)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, इमामगंज(गया जी)	
5	श्री राहुल कुमार/ असैनिक/C220003/नालन्दा	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सुल्तानगंज(भागलपुर)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, काको (जहानाबाद)	
6	श्री रंजीत रौशन/ असैनिक/C220006/जमुई	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बौसी(बाँका)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, दानापुर(पटना)	
7	सुश्री शिल्पा सोनी/ असैनिक/C220008/ भागलपुर	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, अमरपुर(बाँका)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, पूर्णियाँ	
8	श्रीमती शिप्रा कुमारी/ असैनिक/C220013/पटना	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सिकन्दरा(जमुई)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, खड़गपुर(मुँगेर)	
9	सुश्री तबस्सुम/ असैनिक/C220010/पूर्वी चम्पारण	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बड़हिया(लखीसराय)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, महुआ(वैशाली)	
10	श्री शशि कान्त कुमार/ असैनिक/C220005/ जहानाबाद	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बरबीघा(शेखपुरा)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, गोविन्दपुर(नवादा)	
11	श्रीमती शालिनी कुमारी/ असैनिक/C220012/पटना	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, महुआ(वैशाली)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, अस्थावां(नालन्दा)	
12	श्री रघुराई कुमार/ असैनिक/C220011/कैमूर	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, विक्रमगंज(सासाराम)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, गया सदर(गया जी)	

क्र० सं०	सहायक अभियंता का नाम/ कोटि/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
13	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह/ असैनिक/5147/भागलपुर	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, किशनगंज	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, खगड़िया	
14	श्री सुबोध कुमार/ यांत्रिक/सीतामढ़ी (पैतृक विभाग-पथ निर्माण विभाग)	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दरभंगा <u>अतिरिक्त प्रभार</u> कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दरभंगा	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर
15	श्री मनीष कुमार मंजुल/ असैनिक/5123/पटना	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा <u>अतिरिक्त प्रभार</u> कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा (भोजपुर)	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर
16	श्री गजेन्द्र कुमार यादव /असैनिक/C140006/ पूर्वी चम्पारण	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, मधुबनी <u>अतिरिक्त प्रभार</u> कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर
17	श्री पंकज कुमार/ असैनिक/जे०-31MWRD/नवादा	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बक्सर-1 <u>प्रतिनियुक्त</u> अधीक्षण अभियंता (मु०), रूपांकण/अन्वेषण/गुण-नियंत्रण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, वजीरगंज(गया जी)	प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाता है ।
18	श्री ललन कुमार/ असैनिक/जे०-07MWRD/मुंगेर	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बौसी(बाँका)	
19	श्री शम्भु कुमार शरण/ असैनिक/जे०-26MWRD/मुंगेर	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बिहारशरीफ(नालन्दा)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, भोरे(गोपालगंज)	
20	श्री कपिल /असैनिक/जे०-14MWRD/बाँका	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, गया जी	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बेतिया-1(बेतिया)	
21	श्री अजय कुमार सिन्हा /असैनिक/जे०-36MWRD/ रोहतास	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, वजीरगंज(गयाजी)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, अमरपुर(बाँका)	
22	श्री राम प्यारे दास/असैनिक/ जे०-68MWRD/ गया जी	कनीय अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मोतिहारी <u>सम्प्रति</u> सहायक अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सुल्तानगंज(भागलपुर)	

क्र० सं०	सहायक अभियंता का नाम/ कोटि/आई०डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन	नव अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5
23	श्री अजय कुमार/असैनिक/ 5138/गया जी	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, उदाकिशनगंज(मधेपुरा) अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा एवं मधेपुरा	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, लखीसराय	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय
24	श्री रोबिन कुमार तिवारी /असैनिक/C140003 /धनबाद(झारखण्ड)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, टेकारी(नया), गयाजी	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बायसी(पूर्णियाँ)	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ एवं कटिहार

2. क्रम सं०-14, 15, 16, 23 एवं 24 के पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में अंकित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उक्त पदाधिकारी नव पदस्थापन/नव अतिरिक्त प्रभार के पद का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे।

4. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी दिनांक-07.07.2026 तक निश्चित रूप से नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा दिनांक-08.07.2026 को स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

5. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी माह- जुलाई, 2026 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2026

सं०सं० 01/श्रम न्याय-01/2024-19/श्र०सं०—बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार—VI, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित/घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद
सरकार के विशेष सचिव।

20 जुलाई 2026

सं०सं० 01/क०रा०बी०यो०-06/2023-20/श्र०सं०—निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार हेतु, श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद
सरकार के विशेष सचिव।

20 जुलाई 2026

सं० 01/श्रम स्थानांतरण-15/2026-21/श्र०सं०—श्री राजेश कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक, दशरथ माँझी श्रम नियोजन एवं अध्ययन संस्थान, पटना का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद
सरकार के विशेष सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
सैनिक कल्याण निदेशालय

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

सं०सं० सै०क०नि 03/12/2025-1216—मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2026 को आयोजित चयन समिति की अनुशंसा तथा बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2025 कि प्रावधानों के आलोक में आरक्षणवार निम्न सेवानिवृत्त सैन्य पदाधिकारियों को सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

क्र०	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	IC-72361 P Lt Col Amod Kumar	DC	Begusarai
*2.	MS-16349F Lt Col Brajesh Kumar	DC	West Champaran
3.	SC-0011 2A Lt Col Upendra Kumar Singh	Gen	Gopalganj
4.	IC-58830F Lt Col Sujeet Kumar	Gen	Sitamarhi
#5.	30544-G Wg Cdr Pallavi	Gen	Patna
6.	SS-44925 W Lt Col Kunal Kumar Sharma	Gen	Munger
*7.	29582 L Wg Cdr Darshana Sonkar	Gen	Aurangabad
8.	22662 F Wg Cdr Sangeeta Malla	Gen	Katihar
9.	SL-05017X Lt Col Mahavir Singh Kaushik	Gen	Bhojpur

Note : * S. No 2 will be on deputation in East Champaran (Motihari) till opening of office, West Champaran (Bettiala).

S. No 5 is will be on deputation in Sainik Kalyan Nideshalaya till further orders.

*" S. No 7 will be on deputation in Rohtas (Dehri-on-Sone) till opening of office, Aurangabad.

2. नियुक्ति के फलस्वरूप सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 312 दिनां 26.03.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतनादि का निर्धारण किया जायेगा। नवनियुक्त पदाधिकारी अपना योगदान अपने पदस्थापन कार्यालय में देंगे एवं भुगतान पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

3. योगदान के समय असैनिक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसे योगदान के उपरांत निदेशालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

4. नियुक्ति के आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति एवं योगदान देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

आदेश से,
क्षत्रनील सिंह,
विशेष सचिव।

कार्यालय आदेश

30 जून 2026

सं० 01/स्था०-21/2024-178-4445(एस)—श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+100 डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
(शुद्धि पत्र)

30 जून 2026

सं०-01/स्था०-21/2024-4446(एस) — पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4439 (एस), दिनांक 30.06.2026 एवं 4443 (एस), दिनांक 30.06.2026 में स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

- (1) विभागीय अधिसूचना संख्या-4439 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-14 के स्तम्भ-3 में अंकित "वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर" के स्थान पर "सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, सोनपुर" पढ़ा जाय।
- (2) विभागीय अधिसूचना संख्या-4439 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-34 के स्तम्भ-2 में अंकित "श्री प्रभाष देव कुमार" के स्थान पर "श्री प्रभाष कुमार देव" पढ़ा जाय।
- (3) विभागीय अधिसूचना संख्या-4439 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-17 के स्तम्भ-4 में अंकित "गया" के स्थान पर "गयाजी" पढ़ा जाय।
- (4) विभागीय अधिसूचना संख्या-4443 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ-4 में अंकित "सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण-4" के स्थान पर "सहायक अभियंता, उत्तर-4" पढ़ा जाय।
- (5) विभागीय अधिसूचना संख्या-4443 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-10 के स्तम्भ-4 में अंकित "पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, गयाजी" के स्थान पर "पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, शेखपुरा" पढ़ा जाय।
- (6) विभागीय अधिसूचना संख्या-4443 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-13 के स्तम्भ-2 में अंकित "गृह जिला-सिवान" के स्थान पर "गृह जिला-औरंगाबाद" तथा स्तम्भ-3 में अंकित "प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ अंचल, दरभंगा" के स्थान पर "बिहार विकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड (BMSICL)" पढ़ा जाय।
- (7) विभागीय अधिसूचना संख्या-4443 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-42 के स्तम्भ-2 में अंकित "श्री वाहिद अंसारी" के स्थान पर "मो० वाहिद अंसारी" पढ़ा जाय।
- (8) विभागीय अधिसूचना संख्या-4443 (एस), दिनांक 30.06.2026 के क्रम संख्या-33 को विलोपित किया जाता है।
- (9) उपरोक्त अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- (10) शेष यथावत समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
अवर सचिव (प्र०को०)।

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2026

अधि०सं०-प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-04/2026-4580—माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं०-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स० अभि०(यांत्रिक)-01-07/2020{12} लो०से०आ०/गो०, दिनांक-27.02.2026 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं०-04/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

2. उक्त संशोधित अनुशंसा में नये चयनित 01(एक) उम्मीदवार के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन दिनांक-30.04.2026 को किया गया, जिसमें अभ्यर्थी श्री अमरेश कुमार उपस्थित हुए।

3. विभागीय अधिसूचना सं०-3317 दिनांक-19.05.2026 द्वारा दिनांक-30.04.2026 को प्रमाण-पत्रों के जाँच में उपस्थित अभ्यर्थी श्री अमरेश कुमार को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-9(53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के रिक्त पद के विरुद्ध औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुए अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, रक्सौल(मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित किया गया।

उक्त अधिसूचना की कंडिका-2(v) के अनुसार “नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) को नियुक्ति-सह-पदस्थापन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर पदस्थापित कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्यवाई की जायेगी”।

4. श्री कुमार द्वारा पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु निर्धारित 01(एक) माह की निर्धारित समय-सीमा में योगदान नहीं किया गया। उनके द्वारा योगदान अवधि को विस्तारित करने हेतु 01 माह की निर्धारित समय-सीमा के अंतिम तिथि-18.06.2026 को आवेदन समर्पित किया गया, परंतु योगदान अवधि विस्तारित करने हेतु विभाग में समर्पित आवेदन में कोई उचित प्रयोजन का उल्लेख नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

5. अतएव सम्यक् विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-04/2019 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-3317 दिनांक-19.05.2026 द्वारा विभाग के अधीन सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त-सह-पदस्थापित निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) की पदस्थापित कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने के कारण नियुक्ति रद्द की जाती है-

Sl.No.	BPSC Sl. No.	Roll No.	Name	Combined Merit Serial	Date of Birth
1	1	400995	AMRESH KUMAR	9	03-05-1994

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

14 जुलाई 2026

सं०-प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-04/2026-4581—माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं०-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स० अभि०(असैनिक)-01-06/2020{13} लो०से०आ०/गो०, दिनांक-27.02.2026 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन

सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी ।

2. उक्त संशोधित अनुशंसा में नये चयनित 05(पाँच) उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन दिनांक-30.04.2026 को किया गया, जिसमें 01(एक) अभ्यर्थी श्री सत्यम कुमार उपस्थित हुए ।

3. विभागीय अधिसूचना सं0-3316 दिनांक-19.05.2026 द्वारा दिनांक-30.04.2026 को प्रमाण-पत्रों के जाँच में उपस्थित 01(एक) अभ्यर्थी श्री सत्यम कुमार को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 (53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पद के विरुद्ध औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, धमदाहा(पूर्णिगों) के पद पर पदस्थापित किया गया ।

उक्त अधिसूचना की कंडिका-2(v) के अनुसार “नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) को नियुक्ति-सह-पदस्थापन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर पदस्थापित कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी” ।

4. श्री कुमार द्वारा पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु निर्धारित 01(एक) माह की निर्धारित समय-सीमा में योगदान नहीं किया गया । उनके द्वारा योगदान अवधि को विस्तारित करने हेतु 01 माह की निर्धारित समय-सीमा के अंतिम तिथि-18.06.2026 को आवेदन समर्पित किया गया, परंतु योगदान अवधि विस्तारित करने हेतु विभाग में समर्पित आवेदन में कोई उचित प्रयोजन का उल्लेख नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया ।

5. अतएव सम्यक् विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-3316 दिनांक-19.05.2026 द्वारा विभाग के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर औपबधिक रूप से नियुक्त-सह-पदस्थापित निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) की पदस्थापित कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने के कारण नियुक्ति रद्द की जाती है-

Sl.No.	BPSC Sl. No.	Roll No.	Name	Combind Merit Serial	Date of Birth
1	1	300299	SATYAM KUMAR	7	15-01-1997

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

14 जुलाई 2026

अधि0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-04/2026-4582—माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स0 अभि0 (असैनिक)-01-06/2020{13} लो0से0आ0/गो0, दिनांक-27.02.2026 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें 05(पाँच) उम्मीदवार नये चयनित हुए ।

2. विभागीय ज्ञापांक-2449 दिनांक-13.04.2026 द्वारा उक्त नये चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम दिनांक-30.04.2026 को आयोजित किया गया, जिसमें 01(एक) श्री सत्यम कुमार(रौल नं0-300299) उपस्थित हुए तथा शेष 04(चार) अभ्यर्थी श्री भूषण कुमार, सुश्री निमिषा प्रिया, श्री अंकित कुमार एवं सुश्री स्नेहा कुमारी अनुपस्थित रहे ।

3. पुनः विभागीय ज्ञापांक-3196 दिनांक-13.05.2026 द्वारा दिनांक-30.04.2026 को शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के निर्धारित सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे 04 अभ्यर्थियों को द्वितीय अवसर प्रदान करते

हुए दिनांक-29.05.2026 को शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का जाँच कार्यक्रम निर्धारित की गयी, जिसमें सभी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे ।

4. विभागीय ज्ञापांक-3737 दिनांक-08.06.2026 द्वारा पूर्व में निर्धारित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने वाले शेष 04(चार) अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का जाँच(Certificate Verification) कार्यक्रम दिनांक-03.07.2026 को निर्धारित की गयी, परन्तु उक्त तिथि को भी अभ्यर्थी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए ।

5. विभागीय ज्ञापांक-2449 दिनांक-13.04.2026, ज्ञापांक-3196 दिनांक-13.05.2026 एवं विभागीय ज्ञापांक-3737 दिनांक-08.06.2026 द्वारा क्रमशः दिनांक-30.04.2026, 29.05.2026 एवं दिनांक-03.07.2026 को निर्धारित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमों में उपस्थित होने से संबंधित सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके ई-मेल, दैनिक समाचार-पत्र एवं विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड के माध्यम से दी गयी ।

प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों में से किन्हीं भी अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन निमित्त अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु विभाग में अबतक अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है ।

6. अतएव बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा में 05(पाँच) नये चयनित उम्मीदवारों में से विभिन्न तिथियों में आयोजित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने एवं पुनः प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण करने संबंधी अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने वाले निम्नांकित 04(चार) अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है-

Sl. No.	Roll No.	Name	Combined Merit Serial	Date of Birth
1	302624	BHUSHAN KUMAR	5	15-07-1997
2	300763	NIMISHA PRIYA	299	19-02-1996
3	301717	ANKIT KUMAR	18	01-01-1996
4	302967	SNEHA KUMARI	145	31-03-1997

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+100 डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 702— I, Shakeb Khan, S/o Jahangir Khan, R/o Pathan Toli, Nasriganj, Bataganj, Dist-Patna, Bihar-800018. Affidavit No.913, Dated 10.07.2026 do hereby solemnly affirm and declare that Shakeb Khan, MD Shakeb, MD Sakeb and Mohammed Shakeb. And now I will be known as Shakeb Khan.

SHAKEB KHAN.

No. 703— I NESAR AHMAD, S/O Seajoddin Ahmad, R/o+Vill-ward 4, Ujranarayanpur Belsara District-Gopalganj, P.o-Mirganj Bihar-841438 hereby affirm and declare as follows as Affidavit No. 13, Date: 16.12.2025 That ZAINAB SERAJ is my daughter. That in ZAINAB SERAJ 10th all educational certificate my name mistakenly mentioned as NESHAR AHMAD. That in my Aadhar card my name mentioned as NESAR AHMAD. That I shall be known as NESAR AHMAD for all purposes.

NESAR AHMAD.

सं० 704— मैं माधुरी देवी, पति संजय यादव, साकिन-लशकरी, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा, बिहार शपथ पत्र सं. 3457 दिनांक 05.03.2026 द्वारा यह सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र मंकित कुमार के आधार कार्ड में टंकण भूलवश अंग्रेजी में Makit Kumar दर्ज हो गया है। मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Mankit Kumar अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मेरा पुत्र है। अब वह भविष्य में सभी कार्यों एवं उद्देश्यों हेतु मंकित कुमार (Mankit Kumar) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

माधुरी देवी ।

सं० 705— मैं, मो मोबिन आलम, पुत्र अमीनउद्दीन खान, स्थायी निवासी टोला बेलाहरी, सैफगंज, डाकघर - बांके बाजार, जिला - गया - 824217, बिहार, शपथ पत्र संख्या 9446 दिनांक - 02.05.2026 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि अबू ताहा मेरा पुत्र है और उसने 2026, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। उसके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम भूलवश मो मोबिन आलम खान लिखा गया है। मेरा वास्तविक और सही नाम मो मोबिन आलम है।

मो मोबिन आलम।

No. 705— I, Md Mobin Alam, S/o- Aminuddin Khan, Permanent R/o Tola Belahri, Saifganj, PO – Bankey Bajar, Dist.-Gaya- 824217, Bihar declare vide affidavit no. 9446 dated 02/05/2026 , that Abu Taha is my son & had passed Xth in 2026. In all educational certificates of him, my name is wrongly mentioned as Md Mobin Alam Khan. That my correct and actual name is Md Mobin Alam.

Md Mobin Alam.

No. 706—AFFIDAVIT NO. 13969, dated 12.08.2025 | Nilesh Kumar, S/o Rajendra Prasad Singh, resident of Village & P.O. Rampur Dumra, P.S. Marachi, Mokama, District Patna, Bihar, hereby declare that in the Class 10th (Matriculation) certificate of my son, Raunak Kumar, my name has been mistakenly recorded as "Nilesh Singh", whereas my correct and actual name is "Nilesh Kumar." Therefore, it is hereby notified that in all educational records and certificates of my son, the name "Nilesh Kumar" shall be read, treated, and considered as correct in place of "Nilesh Singh." The name "Nilesh Kumar" shall be used for all official and legal purposes in the future.

Nilesh Kumar.

No. 707— I, Shashi Bhushan Prasad Sharma, S/o Satyanarayan Singh, Ward No.-15, Masnadpur Tola, Bihat, Barauni Urvarak Nagar, Begusarai, Bihar-851115 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3428 dt. 11.06.2026 that my name is written as Shashi Bhushan Prasad Singh in my son Manoranjan Kumar's B.S.E.B Class6 10th admit card, Graduation Aadhar Card, Pan Card and driving licence. In B.S.E.B 10th original certificate and intermediate certificate as Shashi Bhushan Pd. Singh. In Aadhar Card my name is written as Shashi Bhushan Prasad Sharma. Above all three names are same and one person. From now I shall be known as Shashi Bhushan Prasad Sharma for all purposes

Shashi Bhushan Prasad Sharma.

No. 708— I, Santosh Kumar Paswan, S/o Baban Paswan, R/o Alawalpur, P.S.-Gaurichak, P.O.-Alawalpur, Patna-803203, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 179 dt. 04.06.2025 that my name is written in my educational documents as Santosh Paswan where as in Aadhar Card written as Santosh Kumar Paswan. Both names and one person. From now I will be known as Santosh Paswan for all purposes.

Santosh Kumar Paswan.

No. 729—I, Kanak Pravin Pathak, D/o Pravin Pathak, R/o C/o Madan Govind Pall, Room No-329, Sector No- 19, Navi Mumbai, Kopar, kharine, S.O.-Thane, Maharashtra-400709, vill-Kuchaycourt ward No.-05 P.O.+P.S.-Kuchaycourt, Distt- Gopalganj, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as per aff.No.-3829 dt. 25.06.26 that my name is written in my all educational documents as Pathak Kanak Pravin. In Adhar card written as Kanak Pravin Pathak. Both names are same and one person. From now I shall be known as Pathak Kanak Pravin for all purposes

Kanak Pravin Pathak.

No. 730— I, Basudeo Trivedi, S/o Srinivas Trivedi R/o Rajendra Path Road No.-09 Mahabir Colony, Beur, Anisabad, Patna Bihar-800002, do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3828 dt. 25.06.26 that Piyush Prakhar is my Son. My name is written in his Aadhar card as Vasudeo Trivedi where as in my Aadhar card written Basudeo Trivedi. Both names are same and one person. From now I will be known as Basudeo Trivedi for all purposes.

Basudeo Trivedi.

सं० 731— मैं रानी कुमारी, पति रंजीत ठाकुर साकिन— लोहार पट्टी, थाना व जिला—किशनगंज (बिहार) शपथ पत्र सं.-7029 दिनांक 19.06.2026 द्वारा यह सूचित करती हूँ कि मेरी पुत्र रिशु कुमार (Rishu Kumar) के केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण अंक विवरिणा सह प्रमाण पत्र में मेरा नाम रानी देवी दर्ज हो गया है। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम रानी कुमारी दर्ज है। दोनों नाम एक ही महिला का है जो मैं स्वयं हूँ। भविष्य में मैं रानी कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

रानी कुमारी ।

सं० 732— मैं रानी कुमारी, पति रंजीत साकिन लोहार पट्टी, थाना व जिला किशनगंज (बिहार) शपथ पत्र सं.-7030 दिनांक 19.06.2026 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरी पुत्री गुनगुन कुमारी (Gungun Kumari) के केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण अंक विवरणिका सह प्रमाण पत्र में मेरा नाम रानी देवी दर्ज हो गया है। मेरे शैक्षणिक दर्ज प्रमाण पत्र में मेरा नाम रानी कुमारी है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं स्वयं हूँ। भविष्य में रानी कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

रानी कुमारी ।

सं० 733— मैं रानी कुमारी पति रंजीत ठाकुर साकिन-लोहार पट्टी, थाना व जिला-किशनगंज (बिहार) शपथ पत्र सं.-7031 दिनांक 19.06.2026 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरी पुत्री तन्नु कुमारी (Tannu Kumari) के 12वीं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रानी देवी दर्ज हो गया है। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रानी कुमारी दर्ज है। दोनों नाम एक ही महिला का है जो मैं स्वयं हूँ। भविष्य में मैं रानी कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

रानी कुमारी ।

No. 734— I, Neeraj Kumar, S/o Awadh Kishor Thakur, R/o-Vill.-Narayan Bheriyahi, P.S.-Kanti, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-5057 dt. 24.07.25 that my name is written in my daughter Suruchi Priya's all certificate as Neeraj Thakur which is wrong. As per Aadhar card my correct name is Neeraj Kumar. From now I will be known as Neeraj Kumar for all purposes.

NEERAJ KUMAR.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+100 डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

21 मई 2026

सं० सं०— निग/सारा (यो० एवं वि०) नि०था०कां०-01/2025-3505(एस)—योजना एवं विकास विभाग पटना के पत्रांक-2837 दिनांक-26.05.2025 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना के पत्रांक-727 दिनांक-14.05.2025 की छायाप्रति अनु० सहित संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 29.04.2025 को परिवादी श्री संतोष प्रसाद यादव से श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) द्वारा एग्रीमेन्ट नं०-SBD-03/23-24 का कार्य पंचायत सरकार भवन सिसवा खरार अंतर्गत मननपुर ग्राम में कार्य की प्राक्कलित राशि रुपये 3,01,33,558/- में कार्य कराये गये भुगतान की राशि लगभग रू० 60 लाख के भुगतान के एवज में रू० 2,00,000/- रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया। साथ ही, इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 021 दिनांक 28.04.2025, धारा-7 (ए) ब्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया।

2. प्रश्नगत मामले में विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-5598 (एस) दिनांक-24.06.2025 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (2)-क में निहित प्रावधान के तहत काराधीन होने की तिथि-29.04.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त निगरानी थाना कांड में दायर Criminal Miscellaneous Case No.- 44053/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक- 15.10.2025 को पारित बेल (Bail) आदेश के आलोक में कारा से दिनांक-19.10.2025 को मुक्त होने के पश्चात दिनांक-21.10.2025 को पूर्वाहन विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

4. प्रश्नगत मामले के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3) (i) के प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के द्वारा दिनांक-21.10.2025 के पूर्वाहन में योगदान किये जाने की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए उनके योगदान को स्वीकृत किया जाता है।

5. श्री कुमार के काराधीन रहते हुए निलंबन अवधि (दिनांक-29.04.2025 से दिनांक-20.10.2025) का विनियमन नियमानुसार उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या- 021 दिनांक 28.04.2025 के निष्पादन के उपरान्त उसके फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

5 जून 2026

अधि०सं०-निग/सारा(निगम) आरोप-24/2026-3977(एस)—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक-1400 दिनांक-05.06.2026 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर-वरुणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य निर्माणाधीन है। इसमें रेलवे ऊपरी पुल एवं Viaduct का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात के लिए एक माह पूर्व खोला गया था। विभिन्न Media एवं Social Media के माध्यम से एक Video प्राप्त हुआ है, जिसमें एक Span के एक तरफ Expansion Joint के पास Slab क्षतिग्रस्त दिख रहा है, जो प्रथम दृष्ट्या कार्य में अनियमितता प्रतीत हो रही है। उक्त मामले में निर्माण कार्य से संबंधित अभियंता श्री अखिलेश कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा एवं श्री हरेराम राम, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता) तथा श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा को कार्य में शिथिलता बरतने के लिए तत्कालक प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की गयी।

2. प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षापरांत पाया गया कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर-वरुणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में श्री अखिलेश कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा के द्वारा शिथिलता बरती गयी है। श्री कुमार का यह कृत्य घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम -3. (1) (i), (ii) एवं (iii), यथा सरकारी सेवक को पूरी शीलनिष्ठा रखना, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना तथा ऐसा कोई काम न करना जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो का उल्लंघन है, जिसके लिए वे दोषी है। अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री अखिलेश कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री अखिलेश कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा का मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

16 जून 2026

अधि०सं०- निग/सारा- (यो० एवं वि०) आरोप-05/2023-4151(एस)—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-29 दिनांक 03.01.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध उक्त पदस्थापन काल में फर्जी विपत्रों के माध्यम से अवैध निकासी के मामले में विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2840(s)अनु० दिनांक 24.05.2023 के द्वारा उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी थी तथा श्री कुमार को दिनांक-31.07.2023 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप संचालित आनुशासनिक कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-6201 (एस) दिनांक-16.10.2023 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 के तहत सम्पन्नितवर्तित किया गया। उक्त संचालित आनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप निम्नवत है :-

(i) श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, जगदीशपुर दिनांक 03.07.2018 से 08.07.2021 तक कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर में कार्यरत थे। CFMS module से भुगतान की व्यवस्था 01 अप्रैल, 2019 से लागू है। पदस्थापन काल में इनके द्वारा CFMS module में Maker का दायित्व किसी नियमित कर्मी (लिपिक/LDC/Clerk) को न देकर Maker के रूप में श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (सविदा कर्मी) को दिया गया जबकि वित्त विभागीय पत्रांक-2684 दिनांक 02.04.2018 की कड़िका-01 (a) में क्षेत्रीय स्तर पर लिपिक/LDC/Clerk को Maker का दायित्व दिये जाने का प्रावधान है। फलतः उनके द्वारा वित्त विभाग के निर्देश की अवहेलना की गई है।

(ii) श्री कुमार के पदस्थापन काल में सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से तीन विपत्रों की कुल राशि 43,42,201/- (तैंतालीस लाख ब्यालीस हजार दो सौ एक) रुपये की निकासी Approver के PKI के माध्यम से हुई है एवं स्थानीय कोषागार, भोजपुर, आरा से चार विपत्रों की कुल राशि

1,66,09,510/- (एक करोड़ छियासठ लाख नौ हजार पाँच सौ दस) रुपये अवैध निकासी Approver के Registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से हुई है। इस प्रकार श्री हेमन्त कुमार, कार्यपालक अभियंता द्वारा Approver के दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं संवेदनहीनता बरती गयी। परिणामस्वरूप CFMS प्रणाली के तहत Maker के दायित्व का निर्वहन करने के दरम्यान श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा कुल 2,09,51,711/- (दो करोड़ नौ लाख एक्यावन हजार सात सौ ग्यारह रुपये) मात्र की अवैध निकासी कर ली गई। इस कपटपूर्ण कृत्य में श्री कुमार की संलिप्तता भी संभावित है।

2. सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 5352 दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध गठित कुल दो आरोपों में से आरोप सं०-01 को प्रमाणित तथा आरोप सं०-02 को पूर्णतः प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है, अर्थात् आरोप संख्या-2 को जाँच आयुक्त द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत आरोप संख्या-1 के संबंध में जाँच आयुक्त के मंतव्य से सहमत होते हुये और आरोप संख्या-2 के संबंध में जाँच आयुक्त के मंतव्य से असहमत होते हुये उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक-5314 (एस) अनु० दिनांक-28.10.2024 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी।

4. उक्त के आलोक में उनके अभ्यावेदन दिनांक-11.11.2024 द्वारा विभाग को समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में अपना पक्ष रखते हुए यह भी अंकित किया गया है कि श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा कुल 2,09,51,711/- (दो करोड़ नौ लाख एक्यावन हजार सात सौ ग्यारह रुपये) की गयी अवैध निकासी में से श्री कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर, भोजपुर के कार्यालय में रु० 1,03,90,000/- ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दिया गया है तथा अवैध निकासी की वसूली की प्रक्रिया जारी है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-621 (एस) अनु० दिनांक-28.01.2025 के द्वारा उक्त तथ्य को सम्पुष्ट करते हुए आलोच्य मामले में शेष राशि के वसूली से संबंधित अद्यतन सूचना तथा सरकार को कितना वित्तीय क्षति हुई है ? के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु योजना एवं विकास विभाग, पटना से अनुरोध किया गया।

5. उक्त के आलोक में स्मारोपरांत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-5949 दिनांक-22.10.2025 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि उक्त मामले में सरकार को कुल 1,35,62,711/- मात्र वित्तीय क्षति हुई है। श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप सं० (i) को जाँच आयुक्त के द्वारा तथा आरोप सं० (ii) को विभाग द्वारा जिन तथ्यों/तर्कों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया है, उसके संबंध में श्री कुमार के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में कोई भी तथ्य/तर्क नहीं दिया गया है। जाँच आयुक्त एवं विभाग के उक्त अभिमत का तार्किक ढंग से खण्डन किये बगैर आरोपी श्री कुमार के लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

6. इतना ही नहीं, मामले की समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कुल सात फर्जी विपत्रों के माध्यम से विभिन्न तिथियों में यथा- दिनांक 13.01.2021, 06.02.2021, 17.02.2021, 04.03.2021, 12.08.2020, 25.08.2020 एवं 14.06.2021 को कुल 2,09,51,711/- रु० की अवैध निकासी श्री कृष्णचन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा की गई है। आरोपी के कथनानुसार यदि यह मान भी लिया जाय कि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा फर्जी स्वीकृत्यादेश तैयार कर अवैध निकासी की गई है, फिर भी कथित अवैध निकासी में आरोपी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कथित अवैध निकासी विभिन्न तिथियों में हुई है एवं विषयांकित मामले में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार आरोपी स्वयं है और इस हैसियत से एकाउन्ट की जाँच करते समय कथित निकासी की जानकारी उन्हें अवश्य होती होगी। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि आरोपी के बिना सहयोग एवं संलिप्तता के अवैध निकासी किया जाना संभव ही नहीं है।

7. उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र के तहत गठित दोनों आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है। फर्जी ढंग से अवैध निकासी की सम्पूर्ण प्रकरण में आरोपी श्री कुमार की संलिप्तता परिलक्षित होती है, क्योंकि श्री कुमार के बिना सहयोग एवं संलिप्तता के अवैध निकासी किया जाना संभव ही नहीं था। श्री कुमार के कृत्य से सरकार को कुल-1,35,62,711/- रुपये की वित्तीय क्षति हुई है, जो घोर कदाचार की श्रेणी में आता है और बिहार सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

8. उपर्युक्त के आलोक में श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती किये जाने संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-538 (एस) अनु0 दिनांक-27.01.2026 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। स्मारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-426 दिनांक-12.05.2026 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आरोपी श्री हेमन्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) इनके 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती।

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

16 जून 2026

अधि0सं0- निग/सारा- (यो0 एवं वि0) आरोप-19/2024-4153(एस)—योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक-3902 दिनांक-15.07.2024 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-4941 (एस) अनु0 दिनांक-07.10.2024 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप निम्नवत है :-

- (1) विभाग, प्रमंडल, जिला स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के ससमय कार्यान्वय हेतु दिनांक-02.03.2024 एवं दिनांक-15.04.2024 को जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैठक निर्धारित की गयी थी, जिसमें कार्यपालक अभियंता के साथ-साथ कार्य प्रमंडल, बक्सर में पदस्थापित/कार्यरत किसी भी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता के द्वारा बगैर पूर्व सूचना के बैठक में भाग नहीं लिया गया, जिसके कारण योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। 16वीं विधानसभा की अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग से बार-बार निदेश प्राप्त हो रहे हैं।
- (2) कार्यालय कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पाता है, इनके द्वारा अपना सम्पर्क नम्बर किसी को नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आवश्यक कार्य के दौरान भी इनसे सम्पर्क नहीं हो पाता है।
- (3) जिला योजना कार्यालय से निर्गत महत्वपूर्ण विषयों/बिन्दुओं से संबंधित पत्र विशेषकर जिस पर कार्रवाई आवश्यक है का ससमय जवाब कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण विभाग से प्राप्त निदेश का अनुपालन नहीं हो पाता है। विभागीय निदेश के आलोक में जिला योजना कार्यालय के पत्र संख्या-21-0232, दिनांक-06.04.2024 के द्वारा 16वीं लोकसभा के बैंक खाते को बंद करते हुए अवशेष अव्यवहृत राशि का वापस करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु कृत कार्रवाई की सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण 16 वीं लोकसभा हेतु संधारित बैंक खाते को अबतक बंद नहीं किया जा सका है। इसी क्रम में श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री आर०के० सिंह, श्री विवेक ठाकुर, सभी माननीय राज्यसभा सांसद, जिनका नोडल जिला क्रमशः मोतिहारी एवं पटना है, का बैंक खाता बंद करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है परन्तु बार-बार स्मार पत्र देने के बावजूद भी इनके द्वारा खाता बंद करके अव्यवहृत अवशेष राशि वापस नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण खाता बंद करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि नोडल जिलों को वापस नहीं किया जा रहा है, जबकि विभागीय निदेशानुसार सभी बैंक खातों को बंद करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि को 31 मार्च 2024 तक CAN खाता में वापस किया जाना था।
- (4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता को दिनांक-04.04.2024 को चेकर का दायित्व सौंपा गया है, परन्तु इनके द्वारा 17वीं विधान सभा से संबंधित योजनाएँ पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण योजनाओं का भुगतान लंबित है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि वो चेकर का कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत काम है।
- (5) जिला पदाधिकारी एवं अन्य माध्यमों द्वारा जिला योजना कार्यालय को प्रेषित कार्य प्रमंडल, बक्सर से संबंधित परिवाद पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता को भेजे जाने पर उनके द्वारा

- कोई कार्रवाई नहीं की जाती है एवं न ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को बार-बार स्मारित भी किया जाता है।
- (6) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता को बार-बार निदेश दिया जाता रहा है। इसके बावजूद भी कार्यपालक अभियंता द्वारा 16वीं विधानसभा की 11 योजनाओं को अब तक अपूर्ण रखा गया है। इसी प्रकार 17वीं लोकसभा की 07 योजनाएँ जो लगभग 01 वर्ष पूर्व से स्वीकृत हैं, को पूर्ण नहीं किया गया है।
- (7) अपीलवाद अनन्य संख्या-530118005012400912/1A वर्ष 2024 में अपर समाहर्ता (लो०शि०नि०)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.04.2024 संसूचित ज्ञापांक-135/लो०शि०नि० दिनांक-04.05.2024 में उल्लेखित है कि जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा सरकारी भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद परिवादी की निजी रैयती भूमि पर योजना का कार्य कराया गया है जो उनकी कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता का परिचायक है तथा सरकारी राशि (Public Money) का अपव्यय, दुरुपयोग व दुर्विनियोग है, जिसके लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर समान रूप से दोषी है। साथ ही कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक विधि-सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई हेतु जिला योजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया। तदालोक में जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-21-0278/जि०यो० दिनांक-08.05.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जो अब तक अप्राप्त है।
- (8) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक अभियंता पदाधिकारी, जिला परिषद् बक्सर द्वारा कार्यालय ज्ञापांक-68 दिनांक-11.05.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर-सह-जिला अभियंता, जिला परिषद्, बक्सर से जिला परिषद् की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् राशि विमुक्ति हेतु मापी-पुस्त एवं विपत्र अद्यतन कर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2. श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित उक्त आरोप के संबंध में श्री प्रसाद के अभ्यावेदन दिनांक-12.03.2025 के द्वारा कंडिकावार बचाव का लिखित अभिकथन विभाग समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पर विभागीय पत्रांक-4034 (एस) अनु० दिनांक-22.05.2025 के द्वारा योजना एवं विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में स्मारोपरांत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-33 दिनांक-08.01.2026 के द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त मंतव्य की प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसकी विभाग स्तर से समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित कुल आठ आरोपों में से उक्त आरोप सं०-(1), (2), (4), (5), (6) एवं (8) के संबंध श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा आरोप सं०-(3) एवं (7) के संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया है।

3. उपर्युक्त के आलोक में श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन दिनांक-12.03.2025 को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(V) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) "संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक"

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

22 जून 2026

सं० निग/सारा-1 (पथ) आरोप-30/2023-4251(एस)-श्री सतीश कुमार वैद्य, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल-02, औरंगाबाद के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यों के उडनदस्ता जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-

1. गुरुआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :-

- (i) पथ के 11वे कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25% के विरुद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी।

- (ii) पथ के 11वें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5%के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14% पायी गई।
2. **जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ**
- (i) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में उपयोग किये गये Aggregate के FI +EIऔर औसत कुल 40% प्रावधान के विरुद्ध 42.48% पायी गयी है।
- (ii) पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6% के विरुद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30% पायी गई है।
3. **जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ**
- (i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरुद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75% पायी गयी है।
- (ii) पथ के 7वें कि०मी० में SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरुद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है।
- (iii) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में 40%प्रावधान के विरुद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है।
4. **इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ**
- (i) पथ के 3रे कि०मी० में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरुद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.31% पायी गयी ।
- (ii) पथ के 3रे कि०मी० में WMMमें 40%प्रावधान के विरुद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+ EI औसतन 41.03% पायी गयी ।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-6842 (एस) अनु०, दिनांक 10.11.2023 के द्वारा श्री वैद्य से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री वैद्य ने पत्र दिनांक 24.06.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त क्रमांक-1 पर अंकित गुरुआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ एवं क्रमांक-3 जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ ही इनसे संबंधित है। अपने अभ्यावेदन में श्री वैद्य द्वारा निम्न तथ्य रखा गया है :-

- (i) **गुरुआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ** के संबंध में श्री वैद्य ने अंकित किया है कि उनके द्वारा D.B.M Gr-II एवं SDBC Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा विशिष्टियों के अनुरूप तथा एकरारनामा के शर्तों के साथ संपन्न कराया गया है।
- उक्त कार्य के संपन्न होने में लगभग 05 माह के बाद स्थल निरीक्षण उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-02 द्वारा किया गया था एवं संपादित परत से नमूना एकत्र कर जाँच के लिए भेजा गया था, इस तरह संपादित परत पर लगभग 05 माह के बाद वाहनों के आवागमन होने के बाद उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-02 द्वारा नमूना एकत्र कर Bituminous Content की जाँच कर प्रतिशतफल विशिष्टि के अनुरूप Bituminous Content कम आना एक प्रावैधिक मान्य तथ्य है, इस संदर्भ में ASTM-D-2172-05 की कंडिका-1 (1.1) अवलोकनीय है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कोलतार में Bitumen Content की जाँच करने पर Bitumen Content का जाँचफल में प्रतिशत घट जाता है। साथ ही उड़नदस्ता द्वारा स्थल से Sample Core Cutter से न लेकर छेनी हथौड़ी से काटकर लिया गया है, छेनी हथौड़ी से काटकर Sample लेने के कारण Sample इधर-उधर बिखर जाता है, जिससे बिटुमीन की सही मात्रा की गणना नहीं हो पाती है।
- (ii) **जी०टी० रोड से पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ** में पायी गयी त्रुटि संख्या-(i), (ii) एवं (iii) के संबंध में श्री वैद्य ने उक्त अंकित तथ्यों के अनुरूप जाँच विधि पर ही प्रश्नचिह्न उठाया है तथा अंकित किया है कि इससे बिटुमीन की सही मात्रा की गणना नहीं हो पाती है। जहाँ तक FI+EI का प्रश्न है, इस संबंध में TRI पटना के उप निदेशक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि FI+EI 50% भी आने पर Strength पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उड़नदस्ता द्वारा FI+EI 42.48% दिया गया है।

3. श्री वैद्य द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पर विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत गुरुआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ के संबंध में पाया गया कि उड़नदस्ता प्रमंडल के द्वारा कार्यों की जाँच कार्य सम्पादन के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य सम्पादन के बाद की जा सकती है। विषयांकित पथ की जाँच कार्य सम्पादन के बाद की गई है। विभागीय मार्गदर्शिका में DBM कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4% से कम तथा 3.56% तक पाये जाने पर Tolerance के रूप में स्वीकार्य होगा। उक्त Tolerance की गणना पथ से संग्रहित नमूनों के Bitumen Content Losses के भिन्न परिस्थितियों के

आधार पर निर्धारित है। अतः DBM में Bitumen की औसत मात्रा 3.56% पाए जाने पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

विषयांकित पथ SDBC में Bitumen की औसत मात्रा 4.14% पायी गई। उक्त स्थिति में विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार SDBC कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4.19% से कम है। इनके द्वारा कहा गया है कि DBM एवं SDBC कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा विशिष्टियों के अनुरूप तथा एकरारनामा के शर्तों के अनुसार सम्पन्न कराया गया है एवं कार्य प्रमंडल द्वारा जाँच में अलकतरा की मात्रा सही पायी गयी है। परन्तु इनके द्वारा Hot Mix Plant का Calibration Certificate तथा अलकतरा की जाँच में प्रयुक्त मशीन का Calibration Certificate नहीं दिया गया है। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

जी०टी० रोड से पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ के संबंध में पाया गया कि -

- (i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-II में Bitumin का औसत मान 3.75% पायी गयी। विभागीय मार्गदर्शिका में DBM Gr-II कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4% से कम तथा 3.56% तक पाये जाने पर Tolerance के रूप में स्वीकार होगा। उक्त Tolerance की गणना सभी संभावित Bituminous Losses के आधार पर की गयी है।
- (ii) पथ के 7वे कि०मी० में SDBC Gr-II में Bitumin का औसत मान 3.61% पायी गयी, जो विभागीय मार्गदर्शिका में SDBC Gr-II कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4.04% से कम है। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।
- (iii) पथ के 7वें कि०मी० में FI+EI की मान 42.48% तक पायी गयी। FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा परामर्श अंकित किया गया है कि FI+EI का औसत कुलमान 40% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम कुल मान 60% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर Marginal effect पड़ेगा। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

अतः मामले के सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री वैद्य के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में कार्य दायित्वों के समानुपातिक निर्धारित दिशा-निदेशानुसार श्री सतीश कुमार वैद्य, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-02, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

“असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड।”

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

22 जून 2026

अधि०सं०-निग/सारा-1 (पथ) आरोप-30/2023-4259(एस)- श्री नागेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-02, पथ प्रमंडल, शेरघाटी के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यों के उड़नदस्ता जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-

1. गुरुआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :-

- (i) पथ के 11वे कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25%के विरुद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी ।
- (ii) पथ के 11वें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5%के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14%पायी गई।

2. जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ

- (i) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में उपयोग किये गये Aggregateके FI +EI और औसत कुल 40% प्रावधान के विरुद्ध 42.48% पायी गयी है।
- (ii) पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6%के विरुद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30%पायी गई है।

3. जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ

- (i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरुद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75% पायी गयी है।
- (ii) पथ के 7वें कि०मी० में SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरुद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है।
- (iii) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में 40% प्रावधान के विरुद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है।

4. इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ

- (i) पथ के 3रे कि०मी० में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरुद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.31% पायी गयी ।
- (ii) पथ के 3रे कि०मी० में WMM में 40% प्रावधान के विरुद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 41.03% पायी गयी ।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-6843 (एस) अनु० दिनांक 10.11.2023 के द्वारा श्री नागेन्द्र पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री नागेन्द्र पासवान ने पत्र दिनांक 21.12.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त क्रमांक-4 पर अंकित केवल इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ ही इनसे संबंधित है। अपने अभ्यावेदन में श्री पासवान द्वारा निम्न तथ्य रखा गया है:-

- (i) त्रुटि संख्या-1 के संबंध में श्री पासवान ने अंकित किया है कि उनके साथ अन्य तीन कनीय अभियंता पथ के पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त थे। साथ ही सहायक अभियंता, श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य एवं मो० नसीम अंसारी प्रतिनियुक्त हैं। चुनाव कार्य में नियुक्त होने के कारण आलोच्य पथ के बिटुमिनस कार्य का पर्यवेक्षण उनके द्वारा नहीं किया जा सका। उक्त अवधि में उनके साथ प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, मो० ताहिर अंसारी के द्वारा बिटुमिनस कार्यों को सम्पन्न कराया गया, जिसकी मापी मो० ताहिर अंसारी के द्वारा मापीपुस्त में दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा की गयी है। उनके चुनाव कार्य से मुक्त होने के पश्चात कराये गये कार्यों के Abstract पर उनसे दिनांक-03.11.2015 को हस्ताक्षर कराया गया है। स्पष्ट है कि बिटुमिनस कार्यों में उनकी सहभागिता नहीं है।
- (ii) त्रुटि संख्या-2 के संबंध में श्री पासवान ने अंकित किया है कि I.R.C द्वारा प्रकाशित MoRTH के Specification for Road and Bridge Work (5th revision) के Table 900-3 के क्रमांक-03 (iii) में Flakiness Index एवं Ellogation Index जाँच स्थल पर एकत्र W.M.M Material का कार्य सम्पादन होने के पूर्व करने का प्रावधान है। इस तरह संपादित परत से एकत्र नमूने के जाँचफल में विचलन संभव है तथा विचलन कितना होगा इसके निर्धारण हेतु कोई सूत्र नहीं है। अगर किसी संस्थान द्वारा कोई विचलन मान लिया जाता है, तो वह पूर्णतः भरोसेमंद व विश्वसनीय नहीं है।
EURO Code में FI+EI की अधिकतम सीमा 50% है जबकि I.R.C में इसकी सीमा 30% निर्धारित है। TRI द्वारा Bihar Jharkhand के विभिन्न खदानों से एकत्र नमूने का Test भी सम्मिलित था। जाँच के आधार पर FI+EI Test के जाँचफल के मानपुर (गया) के खादान का FI+EI 27.64 से 47.53 तथा झारखण्ड के खादान का FI+EI 14.48 से 53.03 तक प्रतिवेदित है। आलोच्य 04 पथों में पायी गयी त्रुटियों के आलोक में संबंधित संवेदकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गयी है, जिसका आधार बनाते हुए श्री पासवान ने स्पष्टीकरण को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

3. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पर विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत उक्त आरोप संख्या-(i) के लिए पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा चुनाव कार्य में तीन टीम की प्रतिनियुक्ति Shift wise कार्य करते हेतु की गयी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा मूल कार्य से मुक्त करने का कोई आदेश नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री नागेन्द्र पासवान को उनके मूल कार्य से मुक्त नहीं किया गया था। आलोच्य कार्य का Supervision श्री पासवान को करना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

आरोप संख्या-(ii) के संबंध में विभाग द्वारा पाया गया कि FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा दिया गया परामर्श विभागीय मार्गदर्शिका में अंकित किया गया है कि यदि FI+EI का औसत कुल मान 40% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम औसत कुल मान 60% तक पाया जाता है तो पथ की गुणवत्ता पर Marginal Effect पड़ेगा। अतः आरोप को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

अतः मामले के सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री पासवान के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में कार्य दायित्वों के समानुपातिक निर्धारित दिशा-निदेशानुसार श्रीनागेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-02, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

“असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड।”

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

22 जून 2026

अधि०सं०-निग/सारा-1 (पथ) आरोप-30/2023-4261(एस)— मो० ताहिर अंसारी तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, टेकारी के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यों के उड़नदस्ता जॉच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-

1. **गुरुआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :-**
 - (i) पथ के 11वें कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25% के विरुद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी।
 - (ii) पथ के 11वें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5% के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14% पायी गई।
2. **जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ**
 - (i) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में उपयोग किये गये Aggregate के FI +EI और औसत कुल 40% प्रावधान के विरुद्ध 42.48% पायी गयी है।
 - (ii) पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6%के विरुद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30%पायी गई है।
3. **जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ**
 - (i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरुद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75%पायी गयी है।
 - (ii) पथ के 7वें कि०मी० में SDBC Gr-IIकार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरुद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है।
 - (iii) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में 40% प्रावधान के विरुद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है।
4. **इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ**
 - (i) पथ के 3रे कि०मी० में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरुद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.13% पायी गयी।
 - (ii) पथ के 3रे कि०मी० में WMMमें 40% प्रावधान के विरुद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+ EI औसतन 41.03% पायी गयी।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-6844 (एस) अनु०, दिनांक 10.11.2023 के द्वारा मो० अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो० अंसारी ने पत्र दिनांक 26.06.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त क्रमांक-2 पर अंकित जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ एवं क्रमांक-4 इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ ही इनसे संबंधित है। अपने अभ्यावेदन में मो० अंसारी द्वारा निम्न तथ्य रखा गया है :-

(i) **जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ**

त्रुटि संख्या-(i) के संबंध में अंकित किया गया है कि वर्णित पथ से WMM का नमूना तब लिया गया है, जिस समय WMM का कार्य निष्पादन हो चुका था। I.R.C द्वारा प्रकाशित MoRTH के Specification for Road and Bridge Work (5th Revision) के Table 900-3 के क्रमांक-03 (iii) में Flakiness Index एवं Ellogation Index जॉच स्थल पर एकत्र W.M.M Material से कार्य सम्पादन के पूर्व करने का प्रावधान है। BIS (Bureau of Indian Standard) का IS2836 (Part-1) 1963

- Rectfirmed 2007 Edition 1.3 (1297-09) की कंडिका 04 एवं 05 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त नियम के तहत Stone Aggregate की मात्रा TRI को नहीं भेजा गया है तथा इसके अनुरूप FI & EI का पर्याप्त मात्रा के अभाव में TRI द्वारा किया गया Test विश्वसनीय प्रमाणित व भरोसेमंद नहीं है। Euro Code में FI+EI की अधिकतम सीमा 50% है जबकि IRC में इसकी सीमा 30% निर्धारित है।
- त्रुटि संख्या—(ii)** के संबंध में अंकित किया गया है कि 7वें कि०मी० में GSB एवं उपयोग किये Aggregate के नमूने में मामूली विचलन पाया गया है, जो खुदाई के समय सही रूप से नमूने का collection नहीं हो पाने से भी संभव है।
- (ii) इमामगंज से चन्द्रा भाया रानीगंज पथ**
- त्रुटि संख्या—(i)** के संबंध में अंकित किया गया है कि I.R.C द्वारा प्रकाशित MoRTH के Specification for Road and Bridge Work के Table 900-3 के 900-4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाले स्टोन एग्रीगेट का परीक्षण कार्य प्रयोग में लाने से पहले ही किया जाना है तथा निर्माण कार्य होते समय DBM Gr-II के लिए Hot Mix Plant से करने के तुरंत बाद नमूना एकत्र कर बिटुमेन कन्टेन्ट के परीक्षण का प्रावधान है। पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत ज्ञापांक-340 (एस) दिनांक 07.01.2010 की कंडिका 3 (i) यह निर्णय अंकित है कि यदि Hot Mix Plant से BM Mix गिरने के तुरंत बाद जाँच नहीं की गयी तो बाद में करायी गयी जाँच के आधार पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्णित पथ में 3वें कि०मी० पथांश से DBM के नमूने को छेनी हथौड़ी से काटकर लिया गया था, जबकि इसे Core cutter से काटकर नमूना लेने का प्रावधान है। छेनी हथौड़ी से नमूना लेते वक्त नमूने का कुछ भाग के बिखरने की पूरी संभावना रहती है, जिससे Bitumen content की सही गणना संदेहात्मक एवं अविश्वसनीय है।
- त्रुटि संख्या—(ii)** के संबंध में अंकित किया गया है कि MoRTH के Table 900-3 के क्रमांक-4 (iii) पर FI+EI का Test Stone Aggregate के कार्य में प्रयुक्त होने के पूर्व करने का प्रावधान है, जबकि उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-02 द्वारा WMM के निर्मित परत से लगभग 1.5 वर्ष बाद नमूना एकत्र कर FI+ EI Test किया गया है, जो निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

3. मो० अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पर विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत निम्न तथ्य उजागर किया गया है :-

जी०टी० रोड से घोराघाट पथ त्रुटि संख्या— (i)

FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा परामर्श दिया गया है कि FI+EI का औसत कुलमान 40% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम कुलमान 60% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर Marginal effect पड़ेगा। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

जी०टी० रोड से घोराघाट पथ त्रुटि संख्या— (ii)

पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6% के विरुद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30% पायी गई है। P.L के संबंध में विभागीय मार्गदर्शिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इमामगंज से चन्द्र भाया रानीगंज पथ त्रुटि संख्या— (i)

पथ के 3वें कि०मी० में DBM Gr-II में Bitumen की औसत मात्रा 3.13% पाई गई। विभागीय मार्गदर्शिका में DBM Gr-II में अलकतरा की औसत मात्रा 4% से 3.56% पाये जाने पर Tolerance Limit के रूप में स्वीकार किया गया है। उक्त Tolerance नमूनों के संग्रहित करने तथा समय अनुसार Losses की गणना के आधार पर की गई है। आलोच्य DBM Gr-II कार्य में पाये गये अलकतरा की औसत मात्रा Tolerance Limit से कम 3.13% पाया गया है। अतः इस आरोप को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

इमामगंज से चन्द्र भाया रानीगंज पथ त्रुटि संख्या— (ii)

FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा परामर्श अंकित किया गया है कि FI+EI का औसत कुलमान 40% तक पाया

जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम कुलमान 60% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर Marginal effect पड़ेगा। अतः इस आरोप को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

अतः मामले के सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में मो० ताहिर अंसारी के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में कार्य दायित्वों के समानुपातिक निर्धारित दिशा-निदेशानुसार मो० ताहिर अंसारी तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, टेकारी, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

“असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड।”

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

22 जून 2026

सं०- निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-37/2021-4263(एस)- श्री राजेन्द्र मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक-31.01.2020) से उक्त पदस्थापन अवधि में बड़हिया-मिनी-बाईपास पथ के कुल 0.80 कि०मी० पथांश में विविध कार्य, ड्रेन कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य एवं साधारण मरम्मत कार्य सहित पी०सी०सी० कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक-9714 (एस) दिनांक 20.12.2018 एवं बाद के स्मार पत्रों के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मांझी ने पत्रांक-शून्य, दिनांक 27.10.2020 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5895 (एस), दिनांक 07.12.2021 के द्वारा उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नवत है :-

- (i) पथ के Ch 0+000से Ch 0+700 तक के अधिकांश भाग के पथ सतह पर खुरदरापन/Scaling पाया गया एवं लगभग Ch 0+550 पर Longitudinal Joint के पास पथ परत लभगग 1m² area में break होकर टूटा हुआ पाया गया।
- (ii) पथ के Ch 0+700सेCh 0+800तक पथ परत का उपरी सतह LHS के अधिकांश भाग में क्षतिग्रस्त पाया गया एवं RHS में पथ सतह पर खुरदरापन/Scaling पाया गया।
- (iii) Construction joint, Expansion joint एवं Longitudinal joint के गैप को filler material से भरा हुआ नहीं पाया गया।
- (iv) पथ के Ch 0+550सेCh 0+750तक में लभगग 50मी० की लंबाई में Draincover किया हुआ नहीं पाया गया। साथ ही उक्त पथ में कराये गये Drain Cover का कार्य Proper levellingनहीं किये जाने के कारण Drain क्रियाशील स्थिति में नहीं पाया गया।
- (v) आलोच्य पथ के PQCकार्य की मुटाई प्रावधान (300mm) से कम 251.41mmपाया गया।
- (vi) आलोच्य पथ के PQC कार्य की average equivalent cubical compressive strength of core 140.89 kg/cm² पाया गया।

2. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-1050 अनु०, दिनांक 06.09.2022 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या-(ii), (iii) एवं (v) को प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक-2605 (एस) दिनांक 12.05.2023 के द्वारा श्री मांझी से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री मांझी ने पत्रांक-शून्य, दिनांक 11.07.2023 के द्वारा अपना द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसमें आरोप संख्या-(ii) के संबंध में कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय समीक्षा के क्रम में इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। जबकि आरोप संख्या-(iii) के संबंध में श्री मांझी द्वारा Construction Joint, Expansion Joint एवं Longitudinal Joint में Filler Material का नहीं पाये जाने का कारण बरसात का मौसम बताया गया है। बरसात में Joints से Filler Material में आंशिक रूप से क्षरण हो सकता है। अतः आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

इसी तरह आरोप संख्या-(v) को संचालन पदाधिकारी ने प्रमाणित प्रतिवेदित किया है, जिसके संबंध में आरोपी पदाधिकारी ने कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-04 द्वारा 1st कि०मी० में 3 Section पर कुल 09 (नौ) बिन्दुओं पर Thickness का Measurement किया गया है एवं सभी

बिन्दुओं पर Cement, Concrete Pavement का Thickness प्रावधानित Thickness से कम पाया गया है। अतः आरोप संख्या-(v) को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

4. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से श्री राजेन्द्र मांझी के द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर पत्रांक-शून्य, दिनांक 11.07.2023 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत “तीन वर्षों के लिए 05% पेंशन की कटौती” का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. श्री मांझी ने उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक-18.06.2025 समर्पित किया है। श्री मांझी के पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पुनः तीनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री राजेन्द्र मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को सम्यक समीक्षोपरांत अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

24 जून 2026

सं०-निग/सारा (निगम) आरोप-27/2021-4331(एस)—श्री सुशान्त कुमार, तत्कालीन उप महाप्रबंधक (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई के द्वारा उक्त पदस्थापन काल में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा ADB BSHP-III अन्तर्गत क्रियान्वित राज्य उच्च पथ सं०-82 (कादिरगंज-देवानगढ़-खैरा पथ) के पैकेज सं०-05, 06 एवं 07 में की गयी अनियमितता के मामले में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं०-2513 (एस) दिनांक-04.06.2021 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5437 (एस) अनु० दिनांक-05.11.2021 के द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप के बिन्दु निम्नवत है :-

- (1) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-3348, दिनांक-08.07.2020 द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (तक०), द्वारा दिनांक-11.07.2021 को किए गए राज्य उच्च पथ संख्या-82 के स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि क्षेत्राधीन परियोजना राज्य उच्च पथ सं०-82 (कादिरगंज-खैरा पथ) की कार्य प्रगति धीमी तथा असंतोषजनक रही तथा मॉनसून के समय पथ का रख-रखाव ठीक नहीं किया गया, जिससे वाहनों के परिचालन में बाधा हुई।
- (2) षोडश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार के अतारांकित प्रश्न सं०-पथ-36-द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के संबंध में राज्य उच्च पथ संख्या-82 (कादिरगंज-खैरा पथ) परियोजनान्तर्गत किलोमीटर 36 एवं 38 पर अवस्थित पुलों एवं रूपौ बाजार के समीप नाला निर्माण कार्य की जाँच हेतु जाँच दल गठित किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परियोजना के संवेदक द्वारा समर्पित Design/Drawing को बिना उचित जाँच एवं विश्लेषण के Senior Bridge/Structural Engineer द्वारा अनुशंसित किया गया तथा Team Leader द्वारा इन्हें बिना किसी Supporting documents के अनुमोदित किया गया, परियोजना के Resident Engineer द्वारा site पर proper methodology एवं technical specification की अनदेखी की गई तथा परियोजना के Engineer द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया तथा अनुश्रवण के प्रति casual approach बरता गया। जाँच दल द्वारा पर्यवेक्षण परामर्शी तथा संवेदक के विरुद्ध Contract के सुसंगत Clause के अनुरूप कार्रवाई की अनुशंसा की गई जिस पर तत्कालीन उप महाप्रबंधक (तकनीकी), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई पर भी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (3) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं महाप्रबंधक (परियोजना-2) द्वारा दिनांक-23.03.2021 को राज्य उच्च पथ सं०-82 परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मार्ग रेखांकन में पेड़ों की कटाई नहीं की गई है, जबकि वन विभाग से इसकी स्वीकृति पूर्व से प्राप्त थी। इसके अलावा कार्य की प्रगति धीमी होने के साथ ही Bituminous work में Gap पाया गया, जो यातायात परिचालन के लिए खतरनाक था। पैकेज 6 के पथांश किलोमीटर 48+600 से किलोमीटर 54+300, जो जमुई जिला में स्थित है, में सात (07) मीटर चौड़े सड़क को dismantle कर पुनः पथ का निर्माण किया गया जिससे परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आया साथ ही यह भी पाया गया कि निर्मित पथ को dismantle करने के बाद उसपर कोई कार्य होता नहीं पाया गया।

- (4) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक (परियोजना-2) द्वारा दिनांक-08.04.2021 को राज्य उच्च पथ सं0-82 परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पथ में **Subgrade** एवं **GSB** का पहला लेयर (**Drainage layer**) का प्रावधान **embankment slope** शुरू होने तक किया जाना था, जो निरूपण के आधार पर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य उच्च पथ सं0-82 के पहले 2 कि0मी0 लम्बाई में **DBM** के **edge** में एकरूपता का अभाव पाया गया तथा कई स्थानों पर **DBM** में **crack** पाया गया। इसके आधार पर अन्य के विरुद्ध कार्रवाई के अतिरिक्त तत्कालीन परियोजना प्रभारी श्री कुमार के विरुद्ध भी आनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
- (5) उच्चाधिकारियों द्वारा स्थल भ्रमण/निरीक्षण के क्रम में संवेदक के द्वारा एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्रियों के **Mobilization** नहीं पाया गया। जबकि इसके लिए संवेदक को **Mobilization Advance** की राशि दी जा चुकी थी फिर भी उप महाप्रबंधक (तक0) द्वारा इसमें अपेक्षित सुधार के लिए कार्रवाई नहीं की गई।

2. उक्त संचालित आनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-4986 अनु0 दिनांक-07.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित उक्त पाँच आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष गठित किया गया। विभागीय समीक्षोपरांत असहमति की बिन्दु गठित करते हुए आरोप सं0-02, 04 एवं 05 के संबंध में विभागीय पत्रांक-4920 (एस) अनु0 दिनांक-04.10.2024 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

3. उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक-24.10.2024 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध संचालित आनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की उपलब्ध अभिलेखों/तथ्यों के आधार पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :-

- (i) आरोप संख्या - 02 एवं 04 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष को इस आधार पर अस्वीकार योग्य पाया गया है कि **Contract Agreement** के **Terms of Reference (ToR)** के **Clause 6 (Deficiency of Services)** के अनुसार **SH-82** में **Consultant** के **Services** में **Deficiencies** के लिए ससमय उचित कार्रवाई नहीं की गयी। आरोपी के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में कोई नया तथ्य एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष पूर्व में समर्पित बचाव-बयान को ही कमोबेश नये सिरे दुहराया गया है।
- (ii) आरोप सं0-05 को संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया है कि आरोपी द्वारा मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री में कमी पाये जाने के संबंध में **BSRDCL** को अवगत कराते हुए संवेदक के विरुद्ध एकरारनामा के **Clause-15.2** के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की गयी थी और आरोपी के विरुद्ध कहीं भी कोई **Specific Lackness** इंगित नहीं किया गया है, जबकि आरोपी के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी की समीक्षा के तहत जिस पत्र द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने की बात कही गयी है, के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा कहीं भी संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में अनुशंसा नहीं की गई है। स्पष्ट है कि आरोपी का कथन तथ्यगत नहीं है। असहमति के उक्त बिन्दु के संबंध में आरोपी श्री कुमार के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व में बचाव बयान में उल्लेखित पत्रांक 328 दिनांक 28.08.2020 को ही पुनः उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी थी, परन्तु इस पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि इनके द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि श्री कुमार का उत्तर तथ्यगत नहीं है।
- (iii) साथ ही आरोपी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि संवेदक को **Mobilization Advance** दी गई थी और स्थल पर एकरारनामा के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री नहीं पाया गया है। यदि संवेदक के द्वारा कार्य स्थल पर एकरारनामा के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया था तो आरोपी के द्वारा **Mobilization Advance** के दूसरी किस्त संवेदक को भुगतान नहीं करना चाहिए था। आरोपी के द्वारा **Mobilization Advance** के **second installment** के **Release** करने के पूर्व संवेदक से **1st Mobilization Advance** के **full utilization** के **proof** के रूप में **document** प्राप्त करने के संबंध में अपने उत्तर में न तो कोई उल्लेख किया गया है न ही इसे

संलग्न किया गया है। स्पष्ट है कि आरोप संख्या-05 के संबंध में श्री कुमार उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोंरान्त श्री सुशान्त कुमार, तत्कालीन उप महाप्रबंधक (तकनीकी), BSRDCL, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई जमुई के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

- (i) श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत "तीन वार्षिक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड" अधिरोपित किया जाता है।
- (ii) उनके निलंबन अवधि के विनियमन की कार्यवाई अलग से की जायेगी।
उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

25 जून 2026

सं० निग/सारा-04 (पथ) मुक०-46/2019-4391(एस)—श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर को हाजीपुर-लालगंज-वैशाली पथ के कि०मी० 23 से कि०मी० 33 में पैच पॉट एवं विभिन्न अंशों में Raising का कार्य एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप नहीं कराने, गलत रूप में कार्यों के भुगतान का प्रयास करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद कार्य में रुचि नहीं लेने एवं सकारात्मक प्रयास नहीं करने जैसे गम्भीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-13250(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-13251(एस) दिनांक-17.11.2009 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों के आधार पर आरोप प्रपत्र-‘क’ गठित कर विभागीय पत्रांक-15489(एस) अनु० दिनांक-30.12.2009 द्वारा श्री प्रसाद से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरान्त उनको विभागीय अधिसूचना संख्या-4823(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-4824(एस) दिनांक-01.04.2010 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध “निन्दन (आरोप वर्ष 2009-10)” एवं “तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दंड संसूचित किया गया।

3. तत्पश्चात् श्री प्रसाद के निलंबन अवधि को विभागीय अधिसूचना संख्या-8599(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-8600(एस) दिनांक-08.06.2010 के द्वारा “निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ इसे कर्तव्य अवधि मानी जायेगी” के रूप में विनियमित किया गया।

4. उक्त संसूचित दंड के विरुद्ध श्री प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक-शून्य दिनांक-22.04.2010 समर्पित किया गया, जिसे सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-8601(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-8602(एस) दिनांक-08.06.2010 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-4823(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-4824(एस) दिनांक- 01.04.2010 के द्वारा संसूचित दंड सहित निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-8599(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-8600(एस) दिनांक-08.06.2010 एवं पुनर्विलोकन अर्जी निरस्तीकरण से संबंधित अधिसूचना संख्या-8601(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-8602(एस) दिनांक- 08.06.2010 को निरस्त किये जाने हेतु श्री प्रसाद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-812/2011 (राज किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक-20.09.2016 को पारित आदेश द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण कंडिका-05 में वर्णित दंडादेश सहित सभी विभागीय अधिसूचनाओं को इस विकल्प के साथ निरस्त कर दिया गया कि अनुशासनिक प्राधिकार चाहें तो नियमानुसार पुनः नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाई कर सकते हैं।

6. उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर LPA No.-1408/2017 विभिन्न तकनीकी कारणों से खारिज हो जाने के पश्चात् CWJC No.-812/2012 में दिनांक-20.09.2026 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-1518(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-1519 (एस) दिनांक-16.03.2023 द्वारा कंडिका-05 में वर्णित दंडादेश सहित सभी विभागीय अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया तथा न्यायादेश में वर्णित विकल्प के आलोक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्री प्रसाद के विरुद्ध आलोच्य मामले में नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर अलग से कार्यवाई की जायेगी।

7. उक्त लिये गये निर्णय के अनुरूप नये सिरे से आरोप पत्र गठित करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-1557(एस) अनु० दिनांक-17.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1025(एस) दिनांक-10.02.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया। तदोपरान्त उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया एवं प्राप्त मंतव्य के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-2815(एस)-सह-पठित

ज्ञापांक-2816(एस) दिनांक-21.04.2026 द्वारा श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर को आरोप मुक्त कर दिया गया।

8. माननीय न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद के विरुद्ध नये सिरे से की गयी अनुशासनिक कार्रवाई में अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने के पश्चात् आलोच्य मामले में उनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11(3)(4) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री प्रसाद के दिनांक-17.11.2009 से दिनांक-31.03.2010 तक के निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्ते सहित सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है, बशर्ते कि निलंबन अवधि के दौरान श्री प्रसाद को भुगतान किये जा चूके जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन करते हुए वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

संख्या-15/आरोप (पटना) 02-88/2022-1068(15)/रा०,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

21 मई 2026

श्रीमती सोनी कुमारी, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित द्वारा कमर में चोट का उल्लेख करते हुए दिनांक-08.03.2021 से 12.03.2021 तक अवकाश की स्वीकृति का आवेदन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को समर्पित किया गया। उनके द्वारा दिनांक 15.03.2021 से 19.03.2021, दिनांक 23.03.2021 से 26.03.2021 एवं दिनांक 05.04.2021 से 09.04.2021 तक अवकाश विस्तार संबंधी आवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया गया। परन्तु दिनांक 09.04.2021 के बाद अवकाश विस्तार हेतु श्रीमती कुमारी का आवेदन निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ और न ही अबतक उन्होंने अपने पद पर योगदान की है।

2. विभागीय पत्रांक-166(3) दिनांक-25.03.2022, पत्रांक-452(3) दिनांक-29.08.2022, पत्रांक-1739(15) दिनांक-20.10.2022 एवं पत्रांक-139(15) दिनांक-30.01.2023 द्वारा कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक-23.10.2022 को आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें तबीयत ठीक नहीं होने/ ईलाजरत होने एवं चिकित्सक द्वारा आराम की सलाह देने का जिक्र करते हुए कार्यालय आने में असमर्थता व्यक्त किया गया। संलग्न चिकित्सा पूर्जा होमियोपैथी चिकित्सक का है, जिसमें आराम करने की सलाह का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती कुमारी द्वारा दिये गये सभी अवकाश आवेदनों को युक्तियुक्त कारण नहीं होने के फलस्वरूप अस्वीकृत करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण/सूचना/प्रतिउत्तर की मांग की गयी। यह भी अंकित किया गया कि निर्धारित समय के अन्दर अभ्यावेदन अप्राप्ति की दशा में यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और नियमानुसार अग्रेत्तर निर्णय लिया जाएगा। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण/सूचना/प्रतिउत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिये निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा विहित प्रपत्र में श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1663(15) दिनांक-05.09.2023, पत्रांक-2058(15) दिनांक-30.11.2023, पत्रांक-275(15) दिनांक-20.02.2024 एवं प्रेस विज्ञप्ति विभागीय पत्रांक-973(15) दिनांक-22.05.2024 द्वारा अंतिम रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, इसके बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

6. श्रीमती कुमारी दिनांक-09.04.2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम रूप से स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किये जाने एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोपों के लिये विभागीय संकल्प सं०-695(15) दिनांक-08.05.2025 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। साथ ही मामले की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने तथा विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को नामित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-732 (15) दिनांक-13.05.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

7. आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-288/लेखा दिनांक-25.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निलंबन के पश्चात् श्रीमती कुमारी द्वारा इस कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है। दूरभाष के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कुमारी द्वारा अबतक योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

8. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि विभागीय संकल्प सं०-732(15) दिनांक-13.05.2025 के द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से उनका पक्ष सुनने हेतु कई बार नोटिस निर्गत किया गया, जो सम्प्रति अप्राप्त है। विशेष सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सं०-190 दिनांक-13.10.2025 के अनुपालन के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने एवं अपना लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति सं०-PR-017288 (Revenue) 2025-26 के द्वारा सूचना प्रकाशित करवाई गयी। इसके बावजूद भी श्रीमती कुमारी सुनवाई में अनुपस्थित रही।

9. आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कमर में चोट का उल्लेख करते हुए दिनांक-08.03.2021 से 12.03.2021 तक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को समर्पित किया गया तथा दिनांक-15.03.2021 से 19.03.2021, दिनांक-23.03.2021 से 26.03.2021 एवं दिनांक-05.04.2021 से 09.04.2021 तक अवकाश विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करने के उपरांत दिनांक-09.04.2021 के पश्चात् अवकाश विस्तार हेतु न तो कोई आवेदन समर्पित किया गया और न ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय में योगदान समर्पित किया गया तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा गया और स्पष्टीकरण पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया गया, साथ ही निलंबन के पश्चात् भी निर्धारित मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में योगदान नहीं किया गया जो पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है, जो सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है।

10. किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर अवकाश में प्रस्थान करना होता है न कि मात्र आवेदन देकर अवकाश में मुख्यालय से प्रस्थान करना होता है। साथ ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा निलंबन के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं किया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। विभागीय संकल्प सं०-695, दिनांक-08.05.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी का निलंबित करते हुए मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-288/लेखा, दिनांक-25.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निलंबन के पश्चात् आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

11. आरोपी पदाधिकारी दिनांक-09.04.2021 से अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित हैं। आरोप पत्र में गठित आरोपो के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में भी बार-बार स्मारित किए जाने एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किए जाने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा न तो उपस्थित होकर और न ही डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी के पास उनके बचाव के पक्ष में कोई साक्ष्य / तथ्य उपलब्ध नहीं है, साथ ही वे सेवा में बने रहने के इच्छुक नहीं हैं।

12. संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन में उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित अभिकथन से सहमत होते हुए आरोपी पदाधिकारी श्रीमती कुमारी के विरुद्ध गठित आरोपों का संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः प्रमाणित अंकित किया गया है।

13. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सोनी कुमारी के विरुद्ध सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

14. श्रीमती सोनी कुमारी, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक-911(15) दिनांक-25.06.2026 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद् की दिनांक-01.07.2026 को सम्पन्न बैठक में मद सं०-16 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

15. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्रीमती सोनी कुमारी, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित को "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी", का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्रीमती सोनी कुमारी से संबंधित ब्यौरा निम्नवत् है:-

- | | |
|----------------|---|
| 1. नाम | :- श्रीमती सोनी कुमारी |
| 2. पिता का नाम | :- श्री विनोद कुमार |
| 3. पदनाम | :- राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित। |
| 4. जन्म तिथि | :- 19.11.1990 |

5. सेवानिवृत्ति की तिथि :- 30.11.2050

6. स्थाई पता :- स्टील सेटर, पैराडाईज होटल के सामने, सदर बाजार, दानापुर कैन्ट, पटना, पिन-801503

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
इनायत खान,
विशेष सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 जुलाई 2026

सं० कौन/भी-114/2024-206/सी—श्री अजिताभ मिश्र, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने विशेष अंचल, पटना के पदस्थापन काल में M/s. Daewoo-L&T (J.V.) GSTIN-10AACAD3960H1Z7 को Inverted duty Structure के मद में विभिन्न कर अवधियों (अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक, सितम्बर 2019 से अक्टूबर 2019 तक, नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक, मई 2020 से जून 2020 तक, जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक, अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 तक, जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक एवं अप्रैल 2021 से जून 2021 तक) हेतु कुल 08 मामलों में रु० 25.80 करोड़ का Erroneous Refund स्वीकृत करने के मामले में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत श्री मिश्र के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया।

श्री मिश्र से उक्त आरोप पत्र के आलोक में बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री मिश्र द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-26.09.2024 के माध्यम से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री मिश्र से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा आई०टी० शाखा द्वारा की गयी। तत्पश्चात् उक्त बचाव का लिखित अभिकथन पर अभिमत देने हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठित की गयी। उक्त समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में श्री अजिताभ मिश्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को आरोप पत्र के तृतीय भाग के प्रथम कंडिका एवं चतुर्थ कंडिका के आरोप से मुक्त करते हुए शेष कंडिकाओं अर्थात् द्वितीय कंडिका, तृतीय कंडिका एवं पंचम कंडिका के आरोप हेतु उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के आलोक में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-122/सी(अनु०) दिनांक-24.04.2026 के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-435 दिनांक-13.06.2026 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी तीनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अजिताभ मिश्र को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजिताभ मिश्र, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना विशेष अंचल, पटना सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को आरोपमुक्त किया जाता है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19—571+100 डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>